प्ररूप–घ

{मध्य प्रदेश नियम तथा आदेश (आपराधिक)}

न्यायालय–अनन्य विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालको के सरंक्षण अधिनियम, 2012, जिला कटनी (म.प्र.)

{समक्ष – कल्पना मरावी}

(दिनांक 31 जुलाई, 2026)

Registration No. SC /01/2025
Filing No. SC/35/2025
CNR No.MP2101-000048-2025
Filing Date 06-01-2025

———————————————————————————————————

आरक्षी केन्द्र माधवनगर, जिला कटनी के अपराध क्र.–926/2024 अपराध अंतर्गत धारा–107, 65(1), 64(2)(आई), 127(2), 127(4), 87, 351(3), 3(5), 137(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 3 सहपठित धारा 4(2), धारा 5(जे)(ii) सहपठित धारा 6 से उद्भूत विशेष सत्र प्रकरण।

———————————————————————————————————

परिवादी/अभियोजन	मध्यप्रदेश राज्य, द्वारा आरक्षी केन्द्र माधवनगर, जिला कटनी (मध्य प्रदेश)
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री आशुतोष द्विवेदी, विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो अधिनियम, 2012
अभियुक्तगण	**01. मोहित चौधरी पिता रामगोपाल चौधरी उम्र**

	लगभग 20 वर्ष, **02. राहुल चौधरी पिता रामगोपाल चौधरी उम्र लगभग 25 वर्ष,** **03. रामगोपाल चौधरी पिता नारायण चौधरी उम्र लगभग 56 वर्ष,** **04. विमला चौधरी पति रामगोपाल चौधरी उम्र लगभग 46 वर्ष,** सभी निवासी–वार्ड नं. 04 ग्राम छहरी बड़खेड़ा, थाना माधवनगर, जिला कटनी (मध्यप्रदेश)
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री संजीव गट्टानी अधिवक्ता,

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तारीख	जमानत पर रिहा किए जाने की तारीख	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दोषसिद्धि	अधिरोपित दंडादेश	धारा–468 बी.एन.एस.एस. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि
पुरूष	मोहित चौधरी	10.11. 2024	निरंक	भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 137(2), 87,	दोषसिद्धी	निर्णय के चरण क्रमांक 136 के अनुसार	कुल 627 दिन (छः सौ सत्ताइस दिवस)

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>65(1), 64(2)(एम), 64(2)(i), 127(4), 107, 351(3) एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा—3 सहपठित धारा 4(2), धारा 5(एल), (जे)(ii) सहपठित धारा 6</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>पुरूष</td><td>राहुल चौधरी</td><td>10.11.2024</td><td>26.03.2025</td><td rowspan="2">भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा—65(1) सहपठित धारा 49, 64(2)(एम) सहपठित धारा 49, 64(2)(i) सहपठित धारा 49,</td><td>दोषमुक्ति</td><td>निरंक</td><td>कुल 135 दिन (एक सौ पैतीस दिवस)</td></tr>
<tr><td>पुरूष</td><td>राम गोपाल चौधरी</td><td>10.11.2024</td><td>19.03.2025</td><td>दोषमुक्ति</td><td>निरंक</td><td>कुल 128 दिन (एक सौ अट्ठाईस दिवस)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="2">127(4) सहपठित धारा 49, 107 सहपठित धारा 49, 351(3) एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा—3 सहपठित धारा 4(2) एवं 17, धारा 5(एल), (जे)(ii) सहपठित धारा 6 एवं 17</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>महिला</td><td>विमला चौधरी</td><td>10.11.2024</td><td>07.03.2025</td><td>दोषमुक्ति</td><td>निरंक</td><td>कुल 116 दिन (एक सौ सोलह दिवस)</td></tr>
</table>

प्ररूप—ङ

अपराध की तारीख	08.11.2024 को एवं उसके 09 माह पूर्व से
प्र.सू.रि. की तारीख	08.11.2024
आरोप—पत्र की तारीख	06.01.2025
आरोपों की विरचना की तारीख	21.01.2025
साक्ष्य प्रारंभ किए जाने की तारीख	18.02.2025

निर्णय सुरक्षित किए जाने की तारीख	27.07.2026
निर्णय की तारीख	31.07.2026
दंडादेश, यदि हो, की तारीख	31.07.2026

–:: निर्णय ::–

(आज दिनाँक 31/07/2026 को घोषित)

1. **अभियुक्त मोहित चौधरी** के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा–137(2), 87, 65(1), 64(2)(एम), 64(2)(i), 127(4), 107, 351(3) एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा–3 सहपठित धारा 4(2), धारा 5(एल), (जे)(ii) सहपठित धारा 6 के तहत यह आरोप है कि उसने दिनांक 08.11.2024 के तीन माह पूर्व अभियोक्त्री के निवास स्थान अभियोक्त्री के गांव आरक्षी केन्द्र माधवनगर जिला कटनी म.प्र. से 18 वर्ष के कम आयु की अभियोक्त्री को विधिपूर्ण संरक्षकता से विधिपूर्ण संरक्षक की सहमति के बिना ले जाकर एवं बहकाकर ले जाकर विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरित किया, अभियोक्त्री का व्यपहरण उसकी इच्छा के विरूद्ध अयुक्त संभोग करने के लिए अभियोक्त्री को विवश या विलुब्ध करने के लिए या वह विलुब्ध की जायेगी, यह संभाव्य जानते हुए किया तथा दिनांक 08.11.2024 के 09 माह पूर्व से दिनांक 07.11.2024 स्वयं के निवास स्थान एवं अन्य स्थान में 16 वर्ष से कम आयु की अभियोक्त्री जो कि सहमति देने में असमर्थ थी, के साथ बार–बार बलात्संग एवं बार–बार एवं एक से अधिक बार प्रवेशन लैंगिक हमला कारित किया, जिससे वह गर्भवती हो गई तथा दिनांक 08.11.2024 के तीन माह पूर्व अभियोक्त्री को 10 या अधिक दिनों के लिए निश्चित दिशा में

जाने से निवारित कर सदोष परिरोध कारित किया तथा दिनांक 08.11.2024 के 09 माह पूर्व से दिनांक 07.11.2024 स्वयं के निवास स्थान एवं अन्य स्थान में 18 वर्ष से कम आयु की अभियोक्त्री के साथ मारपीट कर अभियोक्त्री को आत्महत्या करने के लिए उत्प्रेरित किया, जिसके परिणामस्वरूप अभियोक्त्री ने निवार व कटनी साउथ के बीच के एम नंबर 1076/06 पर ट्रेन के सामने आकर आत्महत्या की तथा उक्त दिनांक, स्थान पर अभियोक्त्री को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2. **अभियुक्त राहुल, रामगोपाल एवं विमला चौधरी** के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा–65(1) सहपठित धारा 49, 64(2)(एम) सहपठित धारा 49, 64(2)(i)सहपठित धारा 49, 127(4) सहपठित धारा 49, 107 सहपठित धारा 49, 351(3) एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा–3 सहपठित धारा 4(2) एवं 17 धारा 5(एल), (जे)(ii) सहपठित धारा 6 एवं 17 के तहत यह आरोप है कि उन्होंने दिनांक 08.11.2024 के 09 माह पूर्व से दिनांक 07.11.2024 तक स्वयं के निवास स्थान एवं अन्य स्थान, जिला कटनी म.प्र. में 16 वर्ष से कम आयु की अभियोक्त्री, जो कि सहमति देने में असमर्थ थी, के साथ बार–बार बलात्संग एवं बार–बार एवं एक से अधिक बार प्रवेशन लैंगिक हमला कारित किये जाने, जिससे अभियोक्त्री गर्भवती हो गई, गुरूत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला कारित कराये जाने का दुष्प्रेरण किया तथा दिनांक 08.11.2024 के तीन माह पूर्व स्वयं के निवास स्थान आरक्षी केन्द्र माधवनगर जिला कटनी से अभियोक्त्री को 10 या अधिक दिनों के लिए निश्चित दिशा में जाने से निवारित कर सदोष परिरोध कारित कराए जाने का

दुष्प्रेरण किया तथा 18 वर्ष से कम आयु की अभियोक्त्री के साथ मारपीट कर अभियोक्त्री को आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित किया, जिसके परिणामस्वरूप अभियोक्त्री ने निवार व कटनी साउथ के बीच के एम 1076/06 पर ट्रेन के सामने आकर आत्महत्या की, जिसका दुष्प्रेरण किया तथा अभियोक्त्री को संत्रास कारित करने के आशय से उसे जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

3. **लैगिंक अपराधों से बालिकों का सरंक्षण अधिनियम 2012 (जिसे अत्र पश्चात् पॉक्सों अधिनियम से संबोधित किया जावेगा) की धारा 33(7) एवं 73 भारतीय न्याय संहिता, 2023 के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत 'निपुण सक्सेना बनाम् यूनियन आफ इंडिया में पारित निर्णय दिनांक 11 दिसम्बर 2018 एवं न्यायदृष्टांत 'हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम श्रीकांत सेकरी 2004(8) एस.सी.सी—153'** में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि लैंगिक हमले की पीड़िता के परिवार को मानसिक पीड़ा से बचाने के सामाजिक उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय में अभियोक्त्री के नाम का उल्लेख नहीं करना अपेक्षित है।

4. इस प्रकरण की अभियोक्त्री के नाम का उल्लेख नहीं किया जा रहा है तथा उसकी पहचान को सुरक्षित रखने के उददेश्य से अभियोक्त्री के परिजन के नाम का भी उल्लेख न कर उन्हें अभियोक्त्री की मॉ (अ.सा.—01), अभियोक्त्री के पिता (अ.सा.—03), अभियोक्त्री के मामा ''आ'' (अ.सा.—04), अभियोक्त्री की मामी ''कि'' (अ.सा.—05) के रूप में उल्लेखित किया जाएगा एवं अभियेाक्त्री के विद्यालय एवं गांव का नाम न लिखकर उन्हें संबंधित विद्यालय एवं अभियोक्त्री

का गांव उल्लेखित किया जाएगा।

5. अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि आरक्षी केन्द्र माधवनगर जिला कटनी में दिनांक 08.11.2024 को 08:20 बजे स्टेशन मास्टर कटनी साउथ के माध्यम से एक तहरीर कि एक अज्ञात व्यक्ति (महिला) रन ओवर होने के संबंध में लाकर पेश किया, जिससे मर्ग सदर कायम कर जांच में लिया गया। उक्त तहरीर पर से उपनिरीक्षक प्रतीक्षा सिंह चंदेल के द्वारा मर्ग क्रमांक 89/2024 धारा 194 बी.एन.एस.एस. में मृतिका/अभियोक्त्री आयु 13 वर्ष की मर्ग जांच की गई, जिसमें संपूर्ण मर्ग जांच शव पंचनामा कार्यवाही, जप्ती पत्रक, नक्शा मौका एवं मृतिका के पिता के कथन से अभियुक्त मोहित चौधरी के द्वारा नाबालिग मृतिका अभियोक्त्री के साथ बलात्कार कर गर्भवती करना एवं जान से मारने की धमकी देकर उसको अपने साथ अपने घर में रखना एवं आरोपी मोहित की माता विमला चौधरी, पिता रामगोपाल चौधरी एवं भाई राहुल चौधरी के द्वारा अभियोक्त्री को आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध पाये जाने पर अपराध अंतर्गत धारा 107, 65(1), 64(2)(i), 127(2), 127(4), 87, 351(3) बी.एन.एस. एवं धारा 3 सहपठित धारा 4(2), 5(जे)(ii) सहपठित धारा 6 पॉक्सो अधिनियम का पाये जाने से अपराध धारा सदर का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया एवं आरक्षी केन्द्र माधवनगर के अपराध क्रमांक 926/2024 पर दर्ज किया गया।

6. प्रकरण में अनुसंधान के दौरान धारा 137(2) बी.एन.एस. बढ़ाकर घटनास्थल एवं अभियोक्त्री के घर का नक्शा मौका व पटवारी नक्शा तैयार किया गया। मृतिका के शव का पी.एम. कराया गया, पी.एम. रिपोर्ट प्राप्त होने पर

चिकित्सक द्वारा प्रिजर्वशुदा मृतिका का नवजात शिशु के शव का व आरोपी के रक्त नमूना जप्त कर डी.एन.ए. परीक्षण हेतु एफ.एस.एल. जबलपुर भेजा गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये।

7. अभियोक्त्री की आयु के संबंध में दाखिल खारिज रजिस्टर पंजी प्रदत्त किये जाने हेतु संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक को प्रदर्श पी–38 का पत्र लेख किया गया, जिसके पालन में संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्याक द्वारा दाखिल खारिज रजिस्टर की हस्तलिखित प्रति प्रदर्श पी–40 प्रदत्त किया।

8. अभियोक्त्री की आयु के संबंध में अभियोक्त्री के दाखिल खारिज रजिस्टर की सत्यप्रति प्र.पी–37सी प्राप्त कर प्रकरण में संलग्न की गई है, जिसमें अभियोक्त्री की जन्म दिनांक 04.07.2010 उल्लेखित है। अभियोक्त्री की आयु घटना के समय 16 वर्ष से कम पाए जाने पर अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा–107, 65(1), 64(2)(आई), 127(2), 127(4), 87, 351(3), 3(5), 137(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 3 सहपठित धारा 4(2), धारा 5(जे)(ii) सहपठित धारा 6 के तहत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

9. अभियुक्तगण के विरूद्ध निर्णय की कंडिका 01 एवं 02 के अनुसार आरोप विरचित कर सुनाये एवं समझाये जाने पर अभियुक्तगण के द्वारा निर्दोषिता का अभिवाक् करते हुए आरोप अस्वीकार किया। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 351 के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में अभियुक्तगण द्वारा व्यक्त किया गया कि वे निर्दोष हैं, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, उन्हें झूठा

फंसाया गया है। अभियुक्त की ओर से बचाव में साक्ष्य देना व्यक्त किया, किंतु किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया। दिनांक 27.07.2026 को उभयपक्ष के अंतिम तर्क श्रवण किये गये।

10. मामले के निराकरण हेतु प्रकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैंः—

1.	**क्या, घटना दिनांक 08.11.2024 को एवं उसके 09 माह पूर्व अभियोक्त्री की आयु 16 वर्ष एवं 18 वर्ष से कम होकर लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 2—डी के तहत ''बालक'' की श्रेणी में आती है ?**
2.	**क्या, अभियुक्त मोहित चौधरी ने दिनांक 08.11.2024 के तीन माह पूर्व अभियोक्त्री के निवास स्थान अभियोक्त्री के गांव आरक्षी केन्द्र माधवनगर जिला कटनी म.प्र. से 18 वर्ष के कम आयु की अभियोक्त्री को विधिपूर्ण संरक्षकता से विधिपूर्ण संरक्षक की सहमति के बिना ले जाकर एवं बहकाकर ले जाकर विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरित किया ?**
3.	**क्या, अभियुक्त मोहित चौधरी ने उक्त दिनांक, समय एवं स्थान से अभियोक्त्री का व्यपहरण उसकी इच्छा के विरूद्ध अयुक्त संभोग करने के लिए अभियोक्त्री को विवश या विलुब्ध करने के लिए या वह विलुब्ध की जायेगी, यह संभाव्य जानते हुए किया ?**
4.	**क्या, अभियुक्त मोहित चौधरी ने दिनांक 08.11.2024 के 09 माह पूर्व से दिनांक 07.11.2024 स्वयं के निवास स्थान एवं**

	अन्य स्थान में 16 वर्ष से कम आयु की अभियोक्त्री जो कि सहमति देने में असमर्थ थी, के साथ बार–बार बलात्संग कारित किया, जिसमें सहअभियुक्तगण राहुल, रामगोपाल एवं विमला चौधरी द्वारा उक्त अपराध कारित कराए जाने का दुष्प्रेरण कारित किया ?
5.	क्या, अभियुक्त मोहित चौधरी ने उक्त दिनांक, समय एवं स्थान से 16 वर्ष से कम आयु की अभियोक्त्री के साथ बार–बार एवं एक से अधिक बार प्रवेशन लैंगिक हमला कारित किया, जिससे वह गर्भवती हो गई, जिसमें सहअभियुक्तगण राहुल, रामगोपाल एवं विमला चौधरी द्वारा उक्त अपराध कारित कराए जाने का दुष्प्रेरण कारित किया ?
6.	क्या, अभियुक्त मोहित चौधरी ने दिनांक 08.11.2024 के तीन माह पूर्व अभियोक्त्री को 10 या अधिक दिनों के लिए निश्चित दिशा में जाने से निवारित कर सदोष परिरोध कारित किया, जिसमें सहअभियुक्तगण राहुल, रामगोपाल एवं विमला द्वारा सहयोग कर दुष्प्रेरण कारित किया गया?
7.	क्या, अभियुक्त मोहित चौधरी ने दिनांक 08.11.2024 के 09 माह पूर्व से दिनांक 07.11.2024 स्वयं के निवास स्थान एवं अन्य स्थान में 18 वर्ष से कम आयु की अभियोक्त्री के साथ मारपीट कर अभियोक्त्री को आत्महत्या करने के लिए उत्प्रेरित किया, जिसके परिणामस्वरूप अभियोक्त्री ने निवार व कटनी साउथ के बीच के एम नंबर 1076/06 पर ट्रेन के सामने

	आकर आत्महत्या की, जिसमें सहअभियुक्तगण राहुल, रामगोपाल एवं विमला द्वारा सहयोग कर दुष्प्रेरण कारित किया गया?
8.	**क्या, अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक, स्थान पर अभियोक्त्री को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?**

—:: निराकरण तथा निष्कर्ष के आधार ::—

11. आरोपी पर लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत अभियोग है। उक्त अधिनियम, 2012 के तहत आवश्यक है कि पीड़ित/ अभियोक्त्री बालक हो। अधिनियम, 2012 की धारा 2 (घ) में बालक को परिभाषित किया गया है जिसमें उपबंधित है कि–'**बालक**' से ऐसा व्यक्ति, जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है, अभिप्रेत है। अतः सर्वप्रथम अभियोक्त्री की आयु का विनिश्चिय किया जाना आवश्यक है।

विचारणीय प्रश्न क्र. 1 :–

12. उक्त प्रश्न के संबंध में अभियोजन का यह संदेह से परे साबित करना है कि घटना दिनांक 08.11.2024 को अभियोक्त्री अवयस्क थी। इस परिप्रेक्ष्य में परीक्षित कराये गये साक्षियों के कथनों एवं प्रस्तुत व प्रमाणित दस्तावेजों का परिशीलन किया जाकर आगे विवेचन किया जा रहा है।

13. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 34 में विधायिका द्वारा उम्र के निर्धारण के संबंध में इस आशय का प्रावधान किया गया है कि अपराध दिनांक को किसी भी बालक की उम्र का निर्धारण किशोर

न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 94 में दिये गये प्रावधान के अधीन किया जावेगा।

14. विधायिका द्वारा बालकों की उम्र के निर्धारण के संबंध में किशोर न्याय ''किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015'' प्रभावी हो चुका है। पुराने नियम 12 के स्थान पर आयु विनिश्चय किये जाने हेतु प्रावधान उक्त नवीन अधिनियम, 2015 की धारा 94 इस आशय का प्रावधान किया गया है कि–

(i) The date of birth certificate from the school, or the matriculation or equivalent certificate from the concerned examination Board, if available; and in the absence thereof;

(ii) The birth certificate given by a corporation or a municipal authority or a panchayat;

(iii) and only in the absence of (i) and (ii) above, age shall be determined by an ossification test or any other latest medical age determination test conducted on the orders or the Committee or the Board:

15. इस प्रकार उम्र के निर्धारण के लिये निर्धारित की गयी परिस्थितियों से स्पष्ट है कि किसी भी बच्चे/बालक की उम्र की गई न्यायालय को सर्वप्रथम स्कूल से जारी की गयी दस्तावेजों को विचार में लिया जाना चाहिये उसके अभाव में सर्टिफिकेट या समकक्ष अनुसूची और दोनों के अभाव में पंचायत, कॉर्पोरेशन म्यूंसिपंल द्वारा जारी किये गये प्रमाणपत्र और इन सब के अभाव में चिकित्सक द्वारा उम्र संबंधी जारी किये गये दस्तावेज पर विचार करना चाहिये। इस प्रकार अधिनियम में दिये गये प्रावधान स्पष्ट होने के कारण दाखिल खारिज पंजी के अभाव में मेट्रिकुलेशन या उसके समकक्ष के अभाव में जन्म प्रमाणपत्र

और उसके प्रभाव में चिकित्सीय परीक्षण को उम्र के निर्धारण के लिये विचार में लिया जाता है। अंकसूची में केवल मेट्रिकुलेशन या उसके समकक्ष अंकसूची के विचार में लिया जाता है, अन्य किसी प्रकार की अंकसूची नहीं। उपरोक्त प्रावधान के परिपालन में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत परीक्षित साक्षियों के कथन एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का परिशीलन कर आगे विवेचना में लिया जा रहा है।

16. अभियोक्त्री की मां (अ.सा.–01) ने न्यायालयीन कथन में प्रकट किया है कि अभियोक्त्री उसकी पुत्री थी। घटना की समय अभियोक्त्री की उम्र 17 वर्ष से कम थी किंतु उसे अभियोक्त्री की जन्म तारीख नहीं मालूम। उसकी तीन लड़कियां और एक लड़का है।

17. अभियोक्त्री के पिता (अ.सा. 03) का न्यायालयीन कथन है कि अभियोक्त्री उसकी पुत्री है, घटना के समय अभियोक्त्री की उम्र 13 वर्ष थी। उसे उसकी जन्मतिथि नहीं मालूम। उसके सामने पुलिस वालों ने अभियोक्त्री के स्कूल प्राचार्य द्वारा अभियोक्त्री के दाखिल खारिज रजिस्टर की सत्यप्रति पेश करने पर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–04 के अनुसार जप्त किया था और उसके द्वारा अभियोक्त्री की मार्कसीट आर्टिकल ए1, प्रोग्रेस रिपोर्ट आर्टिकल ए 2 को पुलिस को दिया था, जिसे पुलिस ने जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–12 एवं 13 के अनुसार जप्त किया था।

18. अभियोक्त्री के मां और पिता के प्रतिपरीक्षण के दौरान इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उन्होंने अभियोक्त्री का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है। इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि अभियोक्त्री का जन्म घर पर हुआ था। प्रतिपरीक्षण में यह भी बताया है कि अभियोक्त्री स्कूल पढ़ने जाती थी और

उन्हें अभियोक्त्री की जन्मतिथि नहीं मालूम।

19. अभियोक्त्री के मामा (अ.सा. 4) का न्यायालयीन कथन में व्यक्त किया है कि वह अभियोक्त्री को जानता है। अभियोक्त्री की उम्र घटना के समय 13—14 वर्ष थी अभियोक्त्री का जन्म वर्ष 2011 में हुआ था। प्रतिपरीक्षण के दौरान यह बताया है कि उसने अभियोक्त्री का जन्म प्रमाण पत्र नहीं देखा किंतु अभियोक्त्री का जन्म घर में होना बताया है।

20. अभियोक्त्री के मामी (अ.सा 5) का न्यायालयीन कथन में व्यक्त किया है कि वह अभियोक्त्री को जानती है। अभियोक्त्री की उम्र घटना के समय 13—14 वर्ष थी अभियोक्त्री का जन्म वर्ष 2011 में हुआ था। प्रतिपरीक्षण के दौरान यह बताया है कि उसे अभियोक्त्री का जन्म कहां हुआ था और उसकी जन्मतिथि के बारे में भी नहीं मालूम।

21. राधिका प्रसाद बेड़िया (अ.सा.—07) का न्यायालयीन कथन में व्यक्त किया है कि अभियोक्त्री को वह जानती है। घटना के समय अभियोक्त्री की उम्र लगभग 13—14 वर्ष थी। प्रतिपरीक्षण के दौरान इस तथ्य को सही होना बताया है कि अभियोक्त्री का जन्म कहां और कब हुआ था इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है।

22. विवेचना अधिकारी प्रतीक्षा सिंह चंदेल (अ.सा—20) का न्यायालयीन कथन है कि अभियोक्त्री की आयु के संबंध में अभियोक्त्री के विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा अभियोक्त्री का दाखिल खारिज रजिस्टर की सत्यापित प्रति पेश करने पर गवाहों के समक्ष जप्ती पत्रक प्रपी 04 के अनुसार जप्त किया गया। दाखिल खारिज रजिस्टर की जप्ती उपरांत प्रधान अध्यापक सुपुर्दगी प्रपी 42 के अनुसार सुपुर्दनामा में दिया गया, जिसके बी से बी भाग पर स्वयं के हस्ताक्षर

होने की पुष्टि की है।

23. प्रतिपरीक्षण के दौरान इस तथ्य को सही होना बताया है कि अभियोक्त्री के जन्म के संबंध में एवं दाखिल खारिज रजिस्टर में अभियोक्त्री की जन्मतिथि किस आधार पर इंद्राज की गई थी इस संबंध में कोई पूछताछ नहीं की गई।

24. अभियोक्त्री के विद्यालय के प्रधानाध्यापक ऋषिका खेर (अ.सा.—14) ने अपनी साक्ष्य के दौरान प्रकट किया है कि वह वर्ष 2022 से संबंधित विद्यालय में पदस्थ है। अभियोक्त्री के दाखिल खारिज रजिस्टर की सत्यापित प्रति प्राप्त करने के संबंध में उसे दिनांक 20.11.2025 को प्रपी 38ए का पत्र प्राप्त हुआ था। मूल दाखिल खारिज रजिस्टर वर्ष 2013 के सरल क्र. 141 से प्रारंभ होकर वर्ष 2025 के सरल क्रमांक 474 तक संधारित है। सरल क्रमांक 171 के अनुसार दिनांक 18.06.2014 को अभियोक्त्री का संबंधित विद्यालय में कक्षा नर्सरी में दाखिला हुआ था। दाखिल खारिज रजिस्टर में अभियोक्त्री का जन्मदिनांक 04.07.2010 शब्दों व अंको मे अंकित है जो कि मूल दाखिल खारिज रजिस्टर प्र.पी. 37 एवं छायाप्रति प्रपी 37सी है जिसके ए से ए भागपर अभियोक्त्री के प्रवेश संबंधी इंद्राज है। दिनांक 07.12.2024 की अभियोक्त्री की घोषणापत्र के संबंध में थाना माधवनगर का पत्र प्रदर्श पी—39ए उसे प्राप्त हुआ था। अभियोक्त्री के जन्म तिथि के संबंध में दाखिल खारिज रजिस्टर की सत्यप्रति प्रपी 40 थाना माधवनगर को दिया गया था, जिसके संबंध में उसके द्वारा प्रमाणपत्र प्रपी 41 दिया था।

25. आगे यह भी व्यक्त किया मूल रजिस्टर का सत्यापित प्रति देने के पश्चात् पुलिस वालों ने उसे मूल दाखिल खारिज रजिस्टर सुपुर्दगी पर दिया था जो कि सुपुर्दनामा प्रपी 42 है। अभियोक्त्री की कक्षा दूसरी की अंकसूची दी गई थी

जो कि आर्टिकल ए–1 है।

26. प्रतिपरीक्षण के दौरान इस तथ्य को सही होना बताया है कि अभियोक्त्री की दाखिल खारिज रजिस्टर एवं मार्कशीट में अभियोक्त्री की जन्मतिथि का अलग–अलग उल्लेख है। इस तथ्य को गलत होना बताया है कि उनके द्वारा बालक के स्कूल में प्रवेश के समय आयु के संबंध में कोई दस्तावेज नहीं लेते है। इस तथ्य को गलत होना बताया है कि प्रपी 37 के दस्तावेज में अभियोक्त्री की उम्र अंदाज से लेख की गई थी।

27. बचाव पक्ष की ओर से अभियोजन साक्षी के प्रतिपरीक्षण में किसी भी प्रकार की अन्यथा परिस्थिति निर्मित नहीं की है, जिसके परिणामस्वरूप साक्षी के कथन ऋषिका खेर (अ.सा.–14) द्वारा प्रतीक्षा सिंह चंदेल (अ.सा.–20) को प्रेषित किये गये दाखिल खारिज रजिस्टर प्रदर्श पी–37 व प्रदर्श पी–37सी, प्रमाण पत्र प्रदर्श पी–41 के दस्तावेजों पर किसी भी प्रकार से अविश्वास किया जाना दर्शित नहीं होता।

28. अभियोक्त्री के मां और पिता ने अपने मुख्यपरीक्षण में बताया है कि उन्हें अभियोक्त्री की जन्मतिथि नहीं मालूम है किंतु अभियोक़्त्री की उम्र घटना के समय 18 वर्ष से कम होना बताया है। इस प्रकार इस साक्षी के कथनों से यह तथ्य नहीं आये है कि उसे अभियोक्त्री की उम्र की जानकारी नहीं है।

29. बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक (अ.सा.–14) द्वारा अभियोक्त्री की जन्मतिथि का उल्लेख किस आधार पर लेख किया गया है इस संबंध में कोई जानकारी नहीं होना बताया है जिससे यह नहीं कहा जा सकता कि अभियोक़्त्री घटना दिनांक को अवयस्क थी। अपने तर्क समर्थन में **न्यायदृष्टांत बिरदमल सिंघवी विरूद्ध आनंद पुरोहित मनु**

1988 सुप्रीम कोर्ट एस.एस.सी 604 प्रस्तुत किया गया है।

30. बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किया गया तर्क स्वीकार्य योग्य नहीं है। यद्यपि अभियोक्त्री के माता–पिता द्वारा घटना के समय अभियोक्त्री की उम्र 18 वर्ष से कम होना बताया है और इस तथ्य से अभियोक्त्री के पिता ने इंकार किया है कि उन्हें अभियोक्त्री की आयु नहीं मालूम। अभियोक्त्री की उम्र के संबंध में अभियोक्त्री के माता–पिता की साक्ष्य ही सर्वोत्तम साक्ष्य है। इस बिंदू पर न्यायदृष्टान्त माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **''विरद्मल सिंघवी विरूद्ध आनंद पुरोहित एआईआर 1988 एस.सी. 1796,''** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया है कि किसी लोकसेवक द्वारा पदीय कर्तव्य के निर्वहन के समय रखे गये दस्तावेज या अभिलेख में किये गये इंद्राज सुसंगत तथ्य है लेकिन स्कूल के अभिलेख में की गयी प्रविष्टि किसी व्यक्ति की उम्र के बारे में किस आधार पर अभिलिखित की गयी है, इस सामग्री के अभाव में अधिक साक्षिक मूल्य नहीं रखती। यदि मूल दाखिल खारिज रजिस्टर में जन्मतिथि का इंद्राज माता द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर किया गया हो तो इसका साक्ष्यिक मूल्य होता है।

31. प्राचार्य ऋषिका खेर (अ.सा.–14) ने अपने कथन में विद्यालय का दाखिल खारिज रजिस्टर प्रदर्श पी–37सी में अभियोक्त्री की जन्मतिथि की प्रविष्टि को प्रमाणित किया है तथा उक्त जन्मतिथि 04.07.2010 की प्रविष्टि दिनांक 18.06.2014 को कक्षा पहली में प्रवेश किये जाने की पुष्टि की है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अभियोक्त्री का दाखिल खारिज रजिस्टर प्रदर्श पी–37सी प्रश्नगत घटना दिनांक से लगभग 10 वर्ष पूर्व से अस्तित्व में था और घटना के पूर्व से अस्तित्व में रहने वाले दस्तावेजों पर सामान्यतः विश्वास किया जा

सकता है, जब तक कि उनकी पृविष्टि का कोई सारवान खंडन न किया गया हो। इस सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायदृष्टांत **Murugan alias settu Vs State of Tamil Nadu (2011) 6 111 SCC** में अभिनिर्धारित किया है कि Documents made ante litem motem can be relied upon safely, when such documents are admissible under Section 35 of the Indian Evidence Act, 1872. उक्त न्यायदृष्टांत के प्रकाश में अभिलेख पर आई साक्ष्य से प्रकट होता है कि अभियोक्त्री को उसके विद्यालय में पहली में दिनांक 18.06.2014 को घटना से लगभग 10 वर्ष पूर्व प्रवेश दिलाया गया था। ऐसे में स्कूल अभिलेख को हस्तगत प्रकरण के प्रयोजन के लिए निर्मित किये जाने की संभावना होना प्रकट नहीं होती है। इसके अतिरिक्त बचाव पक्ष की ओर से ऐसी भी प्रतिरक्षा नहीं ली गई है कि उक्त दस्तावेज असत्य या कूटरचित है। अतः अभियोजन की ओर से प्रस्तुत उक्त दस्तावेजी साक्ष्य पर अविश्वास किये जाने का कोई ठोस कारण प्रकट नहीं होता है।

32. मामले में अभियोजन की ओर से पीड़िता के जन्म तिथि को प्रमाणित करने के लिये लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 34 सहपठित धारा 94 एवं किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 में दिये गये प्रावधान के अनुसार विद्यालय संबंधी जारी किये गए दस्तावेज को प्रस्तुत कर उसे विधि अनुसार प्रमाणित कराया है जिसमें अभियोक्त्री की जन्मतिथि 25.07.2007 उल्लेखित व वर्णित है जिसमें किसी प्रकार से अविश्वास नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में न्यायदृष्टांतः–**''म. प्र. राज्य विरूद्ध प्रीतम एआईआर 2018 एससी 4212''** अवलोकनीय है,

जिसमें इस न्यायालय के विनम्र मतानुसार माननीय न्यायालय द्वारा इस आशय का सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि :— स्कूली दस्तावेज सत्यता के उपधारणा रखते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अभियोक्त्री की जन्मतिथि 04.07.2010 पायी जाती है।

33. घटना की दिनांक उम्र के निर्धारण के लिये महत्वपूर्ण होती है और उसी दिनांक के आधार पर पीड़िता की उम्र का निर्धारत किया जाता है। तत्संबंध में न्यायदृष्टांतः— **''प्रताप सिंह विरूद्ध झारखण्ड राज्य (2005) 3 एससीसी 551''** अवलोकनीय है, जिसमें इस न्यायालय के विनम्र मतानुसार माननीय न्यायालय द्वारा इस आशय का सिद्धांत प्रतिपादित किया है किः—''अपराध की तारीख आयु निर्धारण के लिए तात्विक होती है।''

34. अभियोक्त्री की मां (अ.सा.—01) अभियोक्त्री के पिता (अ.सा.—03) अभियोक्त्री के मामा (अ.सा.—04), अभियोक्त्री की मामी (अ.सा.—05) एवं अन्य साक्षीगण व विद्यालय के शिक्षक ऋषिका खेर (अ.सा.—14), प्रतीक्षा सिंह चंदेल (अ.सा.—20) के न्यायालयीन कथन एवं आवश्यक दस्तावेजों से यह तथ्य प्रमाणित है कि घटना दिनांक 08.11.2024 को अभियोक्त्री की उम्र 14 वर्ष 04 माह 04 दिन है।

35. अतः अभियोक्त्री घटना दिनांक 12.08.2023 को अधिनियम 2012 की धारा 2(1)(घ) के अनुसार ''बालक'' की श्रेणी में आना ''प्रमाणित'' है।

विचारणीय प्रश्न क्र. 02 लगायत 05 :—

36. उपरोक्त समस्त विचारणीय प्रश्न से संबंधित साक्ष्य व तथ्य एक—दूसरे से संबंधित होने से तथ्यों की पुनरावृत्ति को निवारित करने के उद्देश्य से उनका निराकरण एक साथ किया जा रहा है :—

37. उपरोक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में अभियोजन को यह स्पष्ट करना है कि अवयस्क अभियोक्त्री का व्यपहरण कर उसके साथ विवाह करने के आशय से विवश करते हुये एवं अयुक्त संभोग करने के आशय से वर्णित समयावधि में अभियुक्त द्वारा अभियोक्त्री के साथ बार–बार बलात्संग कर गुरूत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला कारित कर अभियोक्त्री को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। इस परिप्रेक्ष्य में परीक्षित साक्षियों के कथन एवं दस्तावेजों का सूक्ष्मता से परिशीलन किया जाकर आगे विवेचन किया जा रहा है।

38. उक्त विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 से यह निर्विवादित रूप से प्रमाणित है कि दिनांक 08.11.2024 को मामले की अभियोक्त्री अवयस्क थी। उक्त दिनांक को अभियोक्त्री की आयु 18 वर्ष से कम थी। इसलिये उक्त उम्र की किसी भी महिला को उनके विधिक संरक्षक की सम्मति से पृथक करना व्यपहरण की ही श्रेणी में आता है। इसी आशय का प्रावधान है विधायिका द्वारा धारा 361 भादसं में किया गया है जिसके अनुसार–

> Whoever takes or entices any minor under 2 sixteen years of age if a male, or under 3 eighteen years of age if a female, or any person of unsound mind, out of the keeping of the lawful guardian of such minor or person of unsound mind, without the consent of such guardian, is said to kidnap such minor or person from lawful guardianship.
>
> Explanation: The words "lawful guardian" in this section include any person lawfully entrusted with the care or custody of such minor or other person.

39. भारतीय दंड संहिता की धारा 361 में दिये गये प्रावधान से स्पष्ट है कि 18

वर्ष से कम आयु की बालिका/अभियोक्त्री को उसके विधिक संरक्षक की सम्मति से हटाया नहीं जा सकता, अगर हटाया जाता है तो वह व्यपहरण का अपराध ही निर्मित करता है। उक्त विधिक परिस्थिति के परिप्रेक्ष्य में परीक्षित साक्षी एवं प्रमाणित दस्तावेज का परिशीलन किया जा रहा है।

40. मामले की अभियोक्त्री की मां (अ.सा.–01) ने व्यक्त किया है कि वह अभियुक्तगण मोहित, विमला, रामगोपाल एवं राहुल को जानती है। अभियोक्त्री उसकी पुत्री है। घटना पिछले वर्ष दीपावली के आसपास की है। अभियोक्त्री की मृत्यु के तीन माह पहले उसने देखा कि अभियोक्त्री का पेट बढ़ गया था तब उसने और उसके पति ने अभियोक्त्री से पूछा कि पेट क्यों बढ़ गया है, तब अभियोक्त्री ने बताया कि उसके पेट में मोहित चौधरी का बच्चा है। अभियोक्त्री ने उसे यह भी बताया था कि अभियुक्त ने उसे कहा था कि ''मैं तुमसे शादी करूंगा।'' अभियोक्त्री की मृत्यु के लगभग दो माह पहले अभियुक्त मोहित उनके घर आकर बोला था कि ''अभियोक्त्री से प्यार करता हूं, उसे रखूंगा और अभियुक्त बोला रहा था कि यदि पुलिस को रिपोर्ट करोगे तो तुम लोगों को जान से खत्म कर दूंगा''। इसके बाद अभियुक्त मोहित अभियोक्त्री को लेकर अपने घर चला गया और वे लोग धान की कटाई करने के लिए बंधी गांव स्लीमनाबाद वह और उसके पति और लड़के साथ चली गई थी। इसके बाद अभियोक्त्री ने उसे फोन करके बताया कि अभियुक्त के परिवार वाले उसे मारपीट कर घर से भगा दिये हैं और कह रहे हैं कि जब तक अभियुक्त मोहित घर में न आए तब तक तुम घर न आना।

41. आगे यह भी व्यक्त किया है कि अभियुक्त मोहित के घरवाले अभियोक्त्री को खाने–पीने के लिए नहीं देते थे, भूखा रखते थे। अभियोक्त्री ने उसे फोन

पर यह भी बताया था कि मैं अभियुक्त मोहित को ढूंढ रही हूं और उसके मिलने बाद ही वापस घर जाउंगी। रात्रि में पुलिस वाले उसके घर आए और बताए कि रेल्वे ट्रैक पर एक लड़की की लाश मिली हैं, तब वह उसके पति वहां पर गए तो देखा कि अभियोक्त्री की लाश पड़ी हुई थी, जिसका पुलिस वालों ने शव पंचनामा कार्यवाही के लिए नोटिस प्रदर्श पी–01 दिया था। उसके सामने नक्शा पंचनामा प्रदर्श पी–02 की कार्यवाही भी हुई थी। अभियोक्त्री का शव की शिनाख्तगी कार्यवाही उसके सामने की गई थी और पंचनामा प्रदर्श पी–03 तैयार किया गया था। उसके धारा 183 बीएनएसएस के अंतर्गत न्यायालय में बयान प्रदर्श पी–05 हुए थे, जिसकी आदेश पत्रिका प्रदर्श पी–06 है, जिस पर अंगूठा निशानी लगाना बताया है।

42. सूचक प्रश्न के दौरान इस तथ्य को सही होना बताया है कि दिनांक 07.11. 2024 को अभियोक्त्री ने सुबह करीब 10 बजे फोन लगाकर बताया था कि वह 08 माह की गर्भवती है और अभियुक्त मोहित उसे मारपीट कर घर से भगा दिया है और अन्य आरोपीगण विमला, रामगोपाल, राहुल ने उसे घर से निकाल दिये हैं और उन्होंने कहा कि जब तक अभियुक्त मोहित घर न आए तब तक तुम घर न आना और न आए तो कहीं जाकर मर जाना। इस तथ्य को सही होना बताया है कि अभियुक्त के माता, पिता और भाई ने अभियोक्त्री को मरने के लिए उकसाया था।

43. अभियोक्त्री के पिता (अ.सा.–03) ने व्यक्त किया है कि अभियुक्तगण को वह जानता है। अभियोक्त्री उसकी पुत्री है। अभियुक्तगण उसके गांव के रहने वाले हैं। अभियोक्त्री की मृत्यु 08 तारीख को हुई थी, उस समय वह घर पर था, रात में उसके घर पुलिस वाले आए थे और उसका नाम पूछा था और उसे

बताए थे कि अभियोक्त्री जो कि उसकी बेटी है, वह ट्रेन से कटकर खत्म हो गई है। आगे यह भी बताया कि उसने अभियोक्त्री की मृत्यु के लगभग दो महीने पहले अभियोक्त्री से पूछा था कि तेरा पेट बड़ा–बड़ा क्यों लग रहा है, तब उसने बताया था कि वह मोहित से प्यार करती है, पेट में उसी का बच्चा है फिर उसके कुछ दिन बाद अभियुक्त उनके घर आया और अभियोक्त्री को अपने साथ लेकर चला गया था। अभियुक्त उन्हें धमकाया था कि यदि घटना की रिपोर्ट कहीं की तो सभी को मार डालेगा और वह अभियोक्त्री को अपने गांव लेकर चला गया था। इसके बाद 07 तारीख को उसकी लड़की ने फोन लगाया और उसे जानकारी दी कि अभियुक्त मोहित ने उसके साथ मारपीट की है और मारपीट करके कहीं चला गया है। अभियुक्त मोहित के घरवाले उसके साथ मारपीट करते हैं, खाना नहीं देते हैं। अभियुक्त मोहित के घरवालों ने उसे कहा था कि कलंकनी जाकर मोहित को ढूंढकर ला नहीं तो मुंह मत दिखाना।

44. आगे यह भी व्यक्त किया है कि दिनांक 08 को पुलिस वाले उसके घर आए थे तब वह उनके साथ रेल लाइन खैर माता मंदिर के पास गया तो देखा वहां पर लाश पड़ी हुई थी, जो कि रेल से कट गई थी, उसने लाश देखकर, कपड़े तथा पैर में बंधे धागे से पहचान की थी कि वह उसकी पुत्री है। पुलिस वाले लाश को पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल कटनी लेकर गए थे। पोस्टमार्टम में उपस्थित होने के लिए उसे नोटिस प्रदर्श पी–01 प्राप्त हुआ था और नक्शा पंचनामा प्रदर्श पी–02 की कार्यवाही उसके सामने किये थे। पुलिस के द्वारा शव शिनाख्तगी पंचनामा प्रदर्श पी–03 तैयार किया गया था। पोस्टमार्टम कार्यवाही पश्चात् शव सुपुर्दगीनामा की कार्यवाही की गई थी, शव सुपुर्दगीनामा

पावती प्रदर्श पी—10 है।

45. आगे यह भी लेख है कि पुलिस वालों ने मृतिका के घर का मौका नक्शा प्रदर्श पी—11 तैयार किये थे और घटना स्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी—14 पटवारी के द्वारा उसकी निशांदेही पर तैयार किया था। उसके धारा 183 बीएनएसएस के कथन प्रदर्श पी—15 कराए गए थे और उसके कथन के लिए नोटिस प्रदर्श पी—16 दिया गया था। पुलिस द्वारा अभियुक्तगण को गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी—17 लगायत 20 के अनुसार गिरफ्तार किये थे तथा पुलिस ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की थी। उक्त कथन की पुष्टि अभियोक्त्री के मामा 'अ' (अ.सा.—04), अभियोक्त्री की मामी 'कि' (अ.सा.—05), लल्लू चौधरी (अ.सा.—06), राधिका प्रसाद बेड़िया (अ.सा.—07), शनि चौधरी (अ.सा.—08) ने भी की है। उक्त सभी साक्षियों के अनुसार घटना के बारे में अभियोक्त्री के पिता ने उन्हें बताया था, उसी के बताए अनुसार न्यायालय में कथन किये हैं।

46. विनोद यादव (अ.सा.—09) का कथन है कि वह अभियुक्तगण को नहीं जानता, पहचानता। घटना साक्ष्य तिथि से एक साल पहले की है। अभियोक्त्री की मृत्यु रेल्वे ट्रैक से कटकर मर जाने से हुई थी। पुलिस वाले आए थे तब वह पुलिस वालों के साथ अभियोक्त्री के घर गया था, उस समय अभियोक्त्री के माता पिता भी आए हुए थे और उसके माता, पिता ने अभियोक्त्री के बारे में पुलिस को बताया था। पुलिस वालों ने मृत्यु जांच की कार्यवाही की उपस्थिति के संबंध में उसे नोटिस प्रदर्श पी—01 दिया था और उसके समक्ष अभियोक्त्री के शव का नक्शा पंचायतनामा प्रदर्श पी—02 बनाया गया था। अभियोक्त्री के पी.एम. के समय अभियोक्त्री के शव की पहचान उसके द्वारा की गई थी। अभियोक्त्री की पी.एम. रिपोर्ट प्रदर्श पी—28 है। पुलिस ने उससे पूछताछ नहीं

की थी। यह साक्षी पक्षविरोधी साक्षी है, जिसने अभियोजन के मामले का समर्थन न करते हुए पुलिस कथन प्रदर्श पी–30 का ए से ए भाग पुलिस को देने से इंकार किया है।

47. मोहम्मद सरीफ (अ.सा.–10) ने सूचक प्रश्न के दौरान मात्र इस तथ्य को स्वीकार किया है कि दिनांक 08.11.2024 को अभियोक्त्री के रेल्वे ट्रैक से कटकर मरने की उसे खबर मिली थी। उक्त साक्षी पक्षविरोधी साक्षी रहा है, जिसने पुलिस कथन प्रदर्श पी–32 का ए से ए भाग पुलिस को देने से इंकार किया है।

48. रामदास मौर्य (अ.सा.–02) के अनुसार दिनांक 08.11.2024 को उसके सीनियर सेक्शन इंजीनियर द्वारा बताया गया कि किलोमीटर 1076, खम्बा नंबर 8 से 10 के बीच कोई अज्ञात व्यक्ति गाड़ी नंबर 12295 संघमित्रा एक्सप्रेस से रनओवर हो गया है, सूचना मिलने पर कटनी साउथ स्टेशन गया और वहां पर स्टेशन प्रबंधक के द्वारा उसे सूचना मेमो देकर माधवनगर भिजवाया गया, स्टेशन प्रबंधक द्वारा दिया गया सूचना मेमो प्रदर्श पी–07 है। सूचना मेमो के आधार पर थाना माधवनगर मर्ग पंजीबद्ध किया गया, मर्ग इंटीमेशन प्रदर्श पी–08 है। उसके द्वारा सूचना दिये जाने के पश्चात् थाना माधवनगर से पुलिस वाले घटना स्थल पर आए थे और घटना स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी–09 उसकी निशांदेही पर बनाए थे। प्रतिपरीक्षण के दौरान उसके द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में कोई विसंगत तथ्य नहीं आए हैं।

49. मोहम्मद वहाब खान (अ.सा.–16) के अनुसार दिनांक 08.11.2024 को रेल्वे विभाग के कर्मचारी रामदास मौर्य द्वारा थाना माधवनगर में उपस्थित होकर सूचना दी गई कि कटनी व कटनी साउथ के बीच केएम नंबर 1076/06

पर एक व्यक्ति रनओवर हुआ है, जिसकी लिखित सूचना प्रदर्श पी–07 के आधार पर उसने थाना माधवनगर में मर्ग क्रमांक 89/2024 प्रदर्श पी–01 पंजीबद्ध किया था और दिनांक 08.11.2024 को घटना स्थल पर जाकर घटना स्थल का नक्शा मौका रामदास मौर्य की निशांदेही पर तैयार किया था। प्रतिपरीक्षण के दौरान इस तथ्य को गलत होना बताया है कि उसने मौके पर जाकर नक्शा मौका नहीं बनाया था।

50. अमित कनकने (अ.सा.–18) के अनुसार दिनांक 30.11.2024 को माधवनगर के अपराध क्रमांक 926/2024 में घटना स्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी–14 तैयार किया था एवं घटना स्थल का निरीक्षण कर गवाहों के समक्ष मौका नक्शा का पंचायतनामा प्रदर्श पी–25 बनाया था। कार्यवाही उपरांत प्रतिवेदन पत्र के माध्यम से स्थल पंचनामा और नजरी पंचनामा, नक्शा संलग्न कर उसने तहसीलदार कटनी को प्रदर्श पी–42ए के प्रतिवेदन सहित प्रेषित किया था।

51. शालिनी गौतम (अ.सा.–19) के अनुसार दिनांक 07.12.2024 को माधवनगर के अपराध क्रमांक 926/2024 में घटना स्थल का नजरी नक्शा तैयार करने के लिए उसे तहसीलदार का पत्र प्रदर्श पी–43 प्राप्त होने पर उसने अभियुक्त क मकान का नक्शा मौका प्रदर्श पी–44 गवाहों के समक्ष तैयार किया था कार्यवाही उपरांत उक्त नक्शा को तहसीलदार कटनी को प्रदर्श पी–45 के प्रतिवेदन सहित प्रेषित किया था। तहसीलदार द्वारा भेजे गए नजरी नक्शा और कवरिंग लेटर को थाना प्रभारी माधवनगर को पत्र प्रदर्श पी–46 के माध्यम से भिजवाया गया था। प्रतिपरीक्षण के दौरान उसके द्वारा की गई कार्यवाही के दौरान कोई विसंगत तथ्य नहीं आए हैं।

52. प्रतीक्षा सिंह चंदेल (अ.सा.–20) ने कथन किया है कि दिनांक 09.11.2024 को

थाना माधवनगर के मर्ग क्रमांक 89/2024 की जांच के दौरान मरचुरी रूम जिला अस्पताल कटनी में उपस्थित होने के लिए गवाहों को धारा 175 द.प्र.सं. का नोटिस प्रदर्श पी–01 दिया था। उसके द्वारा गवाहों के समक्ष शव का नक्शा पंचायतनामा प्रदर्श पी–02 तैयार किया गया था। शव विच्छेदन गृह जिला अस्पताल कटनी में अभियोक्त्री के पिता से शव की पहचान करवाई गई तब अभियोक्त्री के पिता ने अभियोक्त्री का शव और कपड़ों की पहचान कर बताया कि वह उसकी पुत्री है, तब गवाहों के समक्ष उसने शव शिनाख्तगी पंचनामा प्रदर्श पी–03 तैयार किया था। अभियोक्त्री का पीएम कराए जाने के लिए उसके द्वारा पीएम फार्म प्रदर्श पी–37 भरा गया था। अभियोक्त्री के शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए आरक्षक को कार्य प्रमाण पत्र प्रदर्श पी–36 प्रदान किया था।

53. आगे यह भी कथन किया है कि उसने दिनांक 10.11.2024 को मर्ग जांच के दौरान अभियोक्त्री के पिता और साक्षियों से पूछताछ की थी और मर्ग जांच पर साक्षियों के कथन से उसने पाया कि अभियुक्त मोहित चौधरी द्वारा नाबालिग अभियोक्त्री के साथ बलात्कार कर गर्भवती करना, जान से मारने की धमकी देकर अपने साथ घर में रखना एवं आरोपी मोहित की मां विमला चौधरी, पिता रामगोपाल चौधरी, भाई राहुल चौधरी द्वारा मरने के लिए उकसाने का अपराध पाए जाने से थाना माधवनगर में अपराध क्रमांक 926/2024 धारा 107, 65(1), 64(2)(i), 127(2), 127(4), 87, 351(3), 3(5) बी.एन.एस. एवं 3/4(2), 5(जे)(ii)/ 6 पॉक्सो एक्ट का अपराध आरोपी मोहित, विमला, रामगोपाल, राहुल के विरूद्ध पंजीबद्ध किया था, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी–21 है, जिसके बी से बी भाग उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 10.11.2024 को अभियुक्त

मोहित, राहुल, रामगोपाल एवं दिनांक 11.11.2024 को अभियुक्त विमला चौधरी को गवाहों के समक्ष गिरफ्तारी पत्रक क्रमशः प्रदर्श पी—17, 18, 19, 20 के अनुसार गिरफ्तार किया था। उसने अभियुक्तगण की गिरफ्तारी की सूचना प्रदर्श पी—47 नीतू चौधरी को दी थी।

54. आगे यह भी कथन किया है कि दिनांक 11.11.2024 को अभियुक्तगण विमला, राहुल, रामगोपाल, मोहित का मेडीकल परीक्षण कराए जाने के लिए मेरे द्वारा उनका मुलाहिजा फार्म प्रदर्श पी—48, 49, 50, 51 भरा गया। अभियुक्तगण मोहित चौधरी, राहुल चौधरी, रामगोपाल चौधरी, विमला चौधरी का मेडीकल परीक्षण चिकित्सक से कराए जाने के लिए उसके द्वारा ऑनलाइन एमएलसी फार्म प्रदर्श पी—52, 53, 54, 55 भेजा गया था। दिनांक 11.11.2024 को अभियुक्त मोहित चौधरी का डीएनए परीक्षण के लिए रक्त नमूना लिये जाने की सहमति प्रदर्श पी—56 प्राप्त की गई थी। अभियुक्त मोहित चौधरी का डीएनए परीक्षण कराए जाने के लिए दिनांक 11.11.2024 को मय रक्त नमूना प्रमाणन फार्म के साथ जिला चिकित्सालय कटनी गई थी, जहां पर चिकित्सक ने उसके और अभियोक्त्री के पिता के समक्ष आरोपी का रक्त नमूना लिया था। रक्त नमूना प्रमाणन फार्म प्रदर्श पी—57 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर होने की पुष्टि की है।

55. आगे यह भी कथन है कि प्रकरण में जप्तशुदा प्रदर्शों को डीएनए परीक्षण के लिए पुलिस अधीक्षक कटनी के पत्र क्रमांक 404/2024 दिनांक 11.11.2024 प्रदर्श पी—58 के माध्यम से आर.एफ.एस.एल. जबलपुर भिजवाया था। आर.एफ.एस.एल जबलपुर में माल जमा करने की पावती प्रदर्श पी—34 है। आर.एफ.एस.एल जबलपुर से प्राप्त रिपोर्ट प्रदर्श पी—59 है। दिनांक 11.11.2024

को अभियोक्त्री के माता, पिता के धारा 183 बी.एन.एस.एस. के कथन लेखबद्ध किये जाने के लिए संबंधित न्यायालय को पत्र प्रदर्श पी–60 लेख किया गया था। साक्षी अभियोक्त्री की मां, साक्षी किरण रजक, आतिश रजक, राधिका प्रसाद केड़िया, विनोद यादव, मोहम्मद शरीफ सुल्तान, शनि चौधरी, लल्लू चौधरी, अभियोक्त्री के पिता को पूछताछ के लिए धारा 179 बी.एन.एस.एस. का नोटिस प्रदर्श पी–61, प्रदर्श पी–23, प्रदर्श पी–22, प्रदर्श पी–26, प्रदर्श पी–29, प्रदर्श पी–31, प्रदर्श पी–24, प्रदर्श पी–27, प्रदर्श पी–16 दिया था और उनके बताए अनुसार उनके कथन लेख किये थे।

56. आगे यह भी कथन किया है कि दिनांक 11.11.2024 को आरक्षक क्रमांक 648 नंदन कुमार के द्वारा जिला चिकित्सालय कटनी से सीलबंद ईडीटीए वायल में अभियुक्त मोहित का रक्त नमूना पेश करने पर उसने उसे गवाहों के समक्ष जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–33 के अनुसार जप्त किया था। दिनांक 07.12.2024 को अभियुक्त मोहित चौधरी के घर का नक्शा मौका पटवारी से तैयार कराए जाने के लिए उसने तहसीलदार कटनी को पत्र प्रदर्श पी–43 प्रेषित किया था। दिनांक 27.11.2024 को पीएम की टाईपशुदा प्रति प्राप्त करने के संबंध में उसने चिकित्सक को पत्र प्रदर्श पी–62 प्रेषित किया था। दिनांक 12.11.2024 को घटना स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी–11 अभियोक्त्री के पिता की निशांदेही पर तैयार किया था। दिनांक 30.11.2024 को अभियोक्त्री के पिता के द्वारा अभियोक्त्री का सफेद रंग का प्रगति पत्रक पेश किये जाने पर उसने उसे गवाहों के समक्ष जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–13 के अनुसार जप्त किया था।

57. प्रतिपरीक्षण के दौरान इस साक्षी के कथन उनके द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में किसी भी प्रकार के विसंगत तथ्य नहीं आए हैं, जिससे उनके द्वारा

की गई कार्यवाही अखण्डित हो।

58. अनूप सिंह (अ.सा.–17) ने व्यक्त किया है कि दिनांक 20.11.2024 को थाना माधवनगर के अपराध क्रमांक 926/2024 के प्रकरण में घटना स्थल का नजरी नक्शा पटवारी से तैयार कराए जाने के लिए उसने तहसीलदार कटनी को पत्र प्रदर्श पी–41ए लेख किया था। दिनांक 07.12.2024 को अभियोक्त्री के भ्रूण की जानकारी के संबंध में क्वेरी के लिए डॉ. आरती सोंधिया को पत्र प्रदर्श पी–39 लेख किया था।

59. महेश चौधरी (अ.सा.–12) के अनुसार वह दिनांक 09.11.2024 को मृतिका का पी.एम कराने के लिए शासकीय अस्पताल कटनी गया था जहां पर मृतिका के शव की पहचान उसके द्वारा की गई थी। शव परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्श पी–28 के बी से बी भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। पी.एम उपरांत चिकित्सक ने एक प्लास्टिक के सीलबंद डब्बे में पूर्ण विकसित नवजात शिशु का शव जो सैलाइन घोल मे डूबा था, एक सीलबंद डब्बे में सेलाइन घोल का नमूना और जिला चिकित्सालय कटनी का सील नमूना प्राप्त किया था जिसकी प्राप्ति शव परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्श पी–28 के सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उपरोक्त सीलबंद पैकेट दिनांक 09.11.2024 को थाना माधवनगर मे लाकर प्रधान आरक्षक 113 आशीष कुमार को दिया था, जिसे उन्होंने गवाहों के समक्ष जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–35 के अनुसर जप्त किया था।

60. आशीष कुमार श्रीवास (अ.सा.–13) के अनुसार दिनांक 09.11.2024 को आरक्षक क्रमांक 619 महेश चौधरी के द्वारा चिकित्सक के द्वारा प्रदत्त एक प्लास्टिक के डिब्बे में पूर्ण विकसित नवजात शिशु का शव जो सलाइन घोल में डूबा हुआ था एवं एक सीलबंद डिब्बे में सलाइन घोल का नमूना लाकर उसे प्रदत्त किया

था तब उसने सीलबंद पैकिट को गवाहों के समक्ष जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–35 के अनुसार जप्त किया था।

61. चिकित्सा अधिकारी आरती सोंधिया (अ.सा.–15) ने व्यक्त किया है कि उसने दिनांक 09.11.2024 को अभियोक्त्री उम्र 18 वर्ष को शव परीक्षण किया था, जिसमें शव की पहचान आरक्षक महेश चौधरी, विनोद यादव और अभियोक्त्री के पिता ने किया था। उसके द्वारा शव परीक्षण 11.55 ए.एम पर प्रारंभ किया गया जिसके बाह्य परीक्षण में उसने पाया कि–

1. मृतिका का शव चित्त अवस्था में पोस्टमार्टम टेबल पर था। मृतिका के सिर की हड्डी क्रस्ड हो चुकी थी एवं मस्तिष्क का भाग दिखाई नहीं दे रहा था।

2. मृतिका के पेट के निचले हिस्से और पैल्विक भाग पर क्रस इंजरी मौजूद थी। दाहिना पैर कूल्हे की हड्डी के पास से क्रैश हो चुका था एवं वहां की हड्डी अस्थिभंग हो चुकी थी एवं वहां की मासंपेशी लालिमा युक्त एवं क्रैश थी।

3. मृतिका का दाहिनी हाथ की अग्रभुजा क्रस्ट थी। दाहिनी हाथ की अग्रभुजा अस्थिभंग थी। दाहिने पैर का पंजा भी क्रस्ड था।

4. मृतिका की बच्चेदानी क्रस्ट थी एवं वहां के इंटरनल आर्गन आंतरिक अंग भी क्रस्ड थे और दिखाई दे रहे थे।

62. आगे यह भी कथन किया है कि उसने आंतरिक परीक्षण करने पर पाया था कि:–

1. सिर की हड्डी क्रस्ड थी और कुचली हुई थी। पर्दा ,पसली, कोमलस्व में ब्रेन एब्रेजन लालिमा के साथ मौजूद था जो कि मृतिका की बायीं तरफ की छाती एवं स्टरनम बोन तक छीलन का निशान था। छाती के बायें तरफ

लालिमा मौजूद था।

2. छाती की बायीं तरफ पसलियों में अस्थिभंग मौजूद था।

3. दाहिना एवं बायां फेफडा संकुचित था एवं बांया फेफडा रैप्चर्ड था।

4. हार्ट संकुचित था एवं उसके दोनो चैंबर खाली थे।

5. आंतों की झिल्ली मुंह तथा ग्रासनली, ग्रसनी संकुचित एवं कुचले हुए थे।

6. छोटी आंत बडी आंत सभी संकुचित व क्रस्ड थे।

7. यकृत, प्लीहा, गुर्दा सभी संकुचित व क्रस्ड थे।

8. यूट्रस क्रस्ड था। उसमें एक मेल फीटस जो कि 2.7 किलो वजन का था ,फीटस के कूल्हे की हड्डी से बांयी तरफ क्रस्ड हो चुकी थी। फीटस का बांया पैर उसके शरीर से अलग हो गया था। उसके सिर की हड्डी में भी अस्थिभंग मौजूद था। बच्चे के सिर की गोलाई 31 से.मी थी और सिर से पैर तक की लंबाई 50 से.मी थी, चेस्ट 31 सेमी था।

63. आगे यह भी कथन किया है कि उसके द्वारा मेल फीटस को नार्मल सैलाइन में प्रिजर्व कर संबंधित आरक्षक को डीएनए परीक्षण के लिए सीलबंद कर सील सैंपल पेपर के साथ दे दिया था।

64. चिकित्सक के मतानुसार मृतिका की मृत्यु क्रस्ड इंजरी के कारण हुई थी। मृतिका की मृत्यु उनके परीक्षण के 24 घंटे के भीतर की थी। उनके द्वारा तैयार किया गया शव परीक्षण प्रतिवेदन रिपोर्ट प्रदर्श पी–37 टाइपशुदा एम. एल.सी प्रदर्श पी–38 है। आगे यह भी व्यक्त किया है कि दिनांक 07.12.2024 को थाना प्रभारी माधवनगर के द्वारा पत्र प्रदर्श पी–39 के माध्यम से मृतक शिशु के आयु के संबंध में जानकारी चाही गई थी तब उसने दिनांक 10.12. 2025 को पुलिस को यह जानकारी प्रदान की गई थी कि मेल फीटस, जो नौ

माह का था, उसकी उम्र 34 से 36 सप्ताह की थी, उक्त क्वेरी रिपोर्ट प्र. पी–39 के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

65. प्रतिपरीक्षण के दौरान इस तथ्य को गलत होना बताया है कि उनके द्वारा बिना परीक्षण के रिपोर्ट तैयार की गई है।

66. डॉ. अपेक्षा बत्रा (अ.सा.–21) के अनुसार दिनांक 11.11.2024 को अभियुक्त मोहित का डीएनए परीक्षण का रक्त नमूना लिये जाने के लिए मय आईडेंटीफिकेशन फार्म सहित उपनिरीक्षक प्रतीक्षा सिंह चंदेल द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तब उसके द्वारा रक्त नमूना प्रमाणन फार्म प्रदर्श पी–57 के बी से बी भाग पर अभियुक्त के फोटोग्राफ को प्रमाणित किया गया था और उपनिरीक्षक प्रतीक्षा सिंह चंदेल तथा अभियोक्त्री के पिता की उपस्थिति में उसके निर्देशन पर लैब टैक्नीशियन ने उसके समक्ष अभियुक्त का रक्त नमूना लिया था। रक्त नमूना प्रमाणन फार्म प्रदर्श पी–57 पर अभियुक्त ने उसके समक्ष अपना दांए और बांए हाथ की अंगूठा निशानी लगायी थी और हस्ताक्षर किये थे। रक्त नमूना प्रमाणन फार्म प्रदर्श पी–57 के सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं एवं डी से डी भाग पर सील नमूना अंकित है।

67. प्रकरण में अभियोक्त्री के नवजात बच्चे के स्त्रोत (प्रदर्श ए) से प्राप्त डीएनए प्रोफाईल अभियुक्त मोहित चौधरी के स्त्रोत (प्रदर्श सी) जैविक संबंधी होने की रिपोर्ट प्रदर्श पी–59 प्राप्त हुई है।

68. प्रकरण में अब यह देखा जाना है कि क्या अभियोक्त्री के मां और पिता के कथन घटना के संबंध में विश्वसनीय है अथवा नहीं एवं डीएनए रिपोर्ट प्रदर्श पी–59 में कोई छेड़छाड़ की संभावना हो नहीं है।

69. अभियुक्त विमला, राहुल, रामगोपाल का बचाव है कि वे अभियुक्त मोहित के

साथ किसी भी अपराध में संलिप्त नहीं है, उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है, अभियुक्त मोहित और अभियोक्त्री के प्रेम संबंध के बारे में भी उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। अतः उक्त अभियुक्तगण द्वारा लिये गए तर्क को देखते हुए बलात्संग के संबंध में अभियुक्तगण विमला, राहुल, रामगोपाल का एक साथ एवं अभियुक्त मोहित का पृथक विचार किया जा रहा है।

//अभियुक्त मोहित के संबंध में//

70. अभियुक्त मोहित के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियोजन साक्षियों के न्यायालयीन कथन एवं 180 बीएनएसएस के कथन में विरोधाभास है। अतः अभियोजन के कथन घटना के संबंध में विश्वसनीय नहीं है।

71. अभियोक्त्री की मां (अ.सा.–01) के अनुसार अभियोक्त्री की मृत्यु के तीन माह पहले उसने देखा कि अभियोक्त्री का पेट बढ़ गया था, तब उसने और उसके पति ने अभियोक्त्री से पूछा कि पेट क्यों बढ़ गया है, तब अभियोक्त्री ने बताया कि उसके पेट में मोहित चौधरी का बच्चा है। अभियोक्त्री ने उसे यह भी बताया था कि अभियुक्त ने उसे कहा था कि मैं तुमसे शादी करूंगा। अभियोक्त्री की मृत्यु के लगभग दो माह पहले अभियोक्त्री मोहित उनके घर आया था और बोला था कि अभियोक्त्री से प्यार करता हूं, उसे रखूंगा और अभियुक्त बोला रहा था कि यदि पुलिस को रिपोर्ट करोगे तो तुम लोगों को जान से खत्म कर दूंगा इसके बाद अभियुक्त मोहित अभियोक्त्री को लेकर अपने घर चला गया और वे लोग धान की कटाई करने के लिए बंधी गांव स्लीमनाबाद वह और उसके पति और लड़के साथ चली गई थी। इसके बाद अभियोक्त्री ने उसे फोन करके बताया कि अभियुक्त के परिवार वाले उसे मारपीट कर घर से भगा दिये हैं और कह रहे हैं कि जब तक अभियुक्त

मोहित घर में न आए तब तक तुम घर न आना।

72. आगे यह भी व्यक्त किया है कि अभियुक्त मोहित के घरवाले अभियोक्त्री को खाने पीने के लिए नहीं देते थे, भूखा रखते थे। अभियोक्त्री ने उसे फोन पर यह भी बताया था कि मैं अभियुक्त मोहित को ढूंढ रही हूं और उसके मिलने बाद ही वापस घर जाउंगी। रात्रि में पुलिस वाले उसके घर आए और बताए कि रेल्वे ट्रैक पर एक लड़की की लाश मिली है तब वह उसके पति वहां पर गए तो देखा कि अभियोक्त्री की लाश पड़ी हुई थी। उक्त कथन की पुष्टि अभियोक्त्री के पिता (अ.सा.–03), अभियोक्त्री के मामा 'अ' (अ.सा.–04), अभियोक्त्री की मामी 'कि' (अ.सा.–05), लल्लू चौधरी (अ.सा.–06), राधिका प्रसाद बेड़िया (अ.सा.–07), शनि चौधरी (अ.सा.–08) के कथनों से होती है।

73. उक्त अभियोजन साक्षियों की मुख्य परीक्षा एवं प्रतिपरीक्षा को देखा जाए तो उनके कथनों में तात्विक विरोधाभासी कथन आए हैं।

74. प्रकरण में यह तथ्य उल्लेखनीय है कि अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त अभियोजन साक्षीगण के कथनों में आए विरोधाभास व विलोपन के संबंध में प्रतिपरीक्षण के दौरान प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। धारा 145 साक्ष्य अधिनियम यह उपबंधित करती है कि पूर्वतन कथनों के बारे में प्रतिपरीक्षा–किसी साक्षी की उन पूर्ववर्तन कथनों के बारे में, जो उसने लिखित रूप में दिये हैं, या जो लेखबद्ध किये गए हैं और जो प्रश्नगत बातों से सुसंगत है, ऐसा लेख उसे दिखाए बिना, या ऐसे लेख साबित हुए बिना, प्रतिपरीक्षा की जा सकेगी, किंतु यदि उस लेख द्वारा उसका खण्डन करने का आशय है तो उस लेख को साबित किये जा सकने के पूर्व उसका ध्यान उस लेख के उन भागों की ओर आकर्षित करना होगा, जिनका उपयोग उसका

खण्डन करने के प्रयोज्य से किया जाना है, इस संबंध में **<u>न्यायदृष्टांत–पावन मेली विरूद्ध स्टेट आफ तमिलनाडू 2014 सीआरएलजे 3240 एससी</u>** अवलोकनीय है।

75. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रकरण में संलग्न डीएनए रिपोर्ट विश्वसनीय नहीं है। अभियोजन द्वारा इस तथ्य को प्रमाणित नहीं किया गया है कि जप्तशुदा सम्पत्ति को दिनांक 13.11.2024 के पूर्व किसके आधिपत्य में रखा गया था।

76. उक्त संदर्भ में डॉ. आरती सोंधिया एवं डॉ. अपेक्षा बत्रा के अनुसार अभियोक्त्री एवं अभियुक्त मोहित से प्राप्त प्रदर्शों को सीलबंद पैककर साथ आए आरक्षक को रासायनिक परीक्षण हेतु भिजवाया गया। प्रतीक्षा सिंह चंदेल के अनुसार प्रकरण में जप्तशुदा प्रदर्शों को डीएनए परीक्षण के लिए पुलिस अधीक्षक कटनी के पत्र क्रमांक 404/2024 दिनांक 11.11.2024 प्रदर्श पी–58 के माध्यम से आर.एफ.एस.एल. जबलपुर भिजवाया था। आर.एफ.एस.एल जबलपुर में माल जमा करने की पावती प्रदर्श पी–34 है।

77. उक्त दोंनो ही चिकित्सक साक्षी के प्रतिपरीक्षण के दौरान इस तथ्य को गलत होना बताया है कि रिपोर्ट अपने मन से तैयार की थी और इस तथ्य को भी गलत होना बताया गया कि उनके द्वारा अभियोक्त्री की कोई जांच नहीं की गई और न ही अभियुक्त का कोई रक्त नमूना लिया गया। इस प्रकार उक्त दोंनो ही चिकित्सक साक्षी के प्रतिपरीक्षण में आए तथ्यों से यह दर्शित नहीं होता है कि पुलिस के अनुसार उनके द्वारा रिपोर्ट तैयार की गई है। उक्त दोंनो साक्षी शासकीय सेवक है। अतः मिथ्या आलिप्त किये जाने की कोई संभावना नहीं है, न ही यह दर्शित होता है कि उनके द्वारा लापरवाहीपूर्वक एवं

उपेक्षापूर्वक सामग्री संग्रहित की गई है।

78. जप्ती के साक्षी आशीष कुमार श्रीवास एवं महेश चौधरी के प्रतिपरीक्षण में आए तथ्यों से यह दर्शित नहीं होता है कि उनके द्वारा अभियुक्त को मिथ्या आलिप्त करने के आशय से असत्य आधारों पर जप्त की कार्यवाही की गई है। पुलिसकर्मी की साक्ष्य भी सामान्य साक्षी के समान होती है, उस पर सामान्य साक्षी की साक्ष्य तरह विचार किया जाना और यदि कथन विश्वसनीय पाए जाते हैं, तो उनके कथन के आधार पर दोषसिद्धि अभिलिखित की जा सकती है। इस संबंध में **न्यायदृष्टांत गिरजा प्रसाद विरूद्ध स्टेट आफ एम. पी. एआईआर 2007 एस सी 3106** अवलोकनीय है।

79. प्रकरण में संलग्न डीएनए रिपोर्ट प्रदर्श पी–59 से यह दर्शित होता है कि दिनांक 13.11.2024 को आरक्षक क्रमांक 628 नंदन कुमार थाना माधवनगर जिला कटनी तीन सीलबंद पैकिट प्रदर्श ए, बी, कागज, कपड़े के आवरण में एवं प्रदर्श सी कागज, कपड़े के आवरण व ईडीटीए वायल ट्यूब प्रदर्श ए, बी, सी मेडीकल आफीसर जिला चिकित्सालय कटनी की सील नमूना से सीलबंद अविकल प्राप्त होने का उल्लेख है। अतः कोई छेड़खानी की संभावना नहीं है। प्रकरण में संलग्न डीएनए रिपोर्ट प्रदर्श पी–59 पूर्णतः विश्वसनीय है।

80. **संतोष मरकाम विरूद्ध म.प्र. राज्य कि. अपील नंबर 1579/2020 आई.एल.आर. 2023 एम.पी. 281 (डी.बी.)** में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि जहां रक्त नमूना एकत्रित कर पृथक से जांच हेतु शीघ्रता से भेजा गया है, अस्पताल की मुद्रा अखण्डित है, कोई प्रक्रियात्मक त्रुटि नहीं पाई है, वहां पर डी.एन.ए. प्रतिवेदन पर अविश्वास नहीं किया जा सके। केवल डी.एन.ए. प्रतिवेदन के आधार पर दोषसिद्धि अभिलिखित

की जा सकती है।

81. **<u>मुकेश विरूद्ध एनसीटी दिल्ली राज्य (2017) 6 एस.सी.सी. 1</u>** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया है कि जहां नमूनों को उचित रूप से संग्रहित किया गया हो, नमूने के बिगड़ने के संबंध में अभिलेख पर कोई साक्ष्य न हो, वहां डीएनए रिपोर्ट को स्वीकार किया जाना चाहिए। **<u>राजा बर्मन उर्फ राहुल विरूद्ध म.प्र. राज्य एम.सी.आर.सी. क. 6476/2016 निर्णय दिनांक 04.05.2016</u>** में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि बलात्संग के मामलों में डीएनए परीक्षण एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है, जिससे किसी व्यक्ति की अपराध में संलिप्तता या संलिप्तता न होना प्रमाणित होता है।

82. **<u>अफजल खान विरूद्ध म.प्र. राज्य 2019 सी.आर.एल.जेत्र 5003 (डीबी)</u>** में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जहां डीएनए के नमूने के प्रदर्श को उचित रूप से लेकर सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया, प्रयोगशाला में प्रदत्त ऐसे सेंपल सीलबंद होना पाए गए और ऐसे नमूनों की यथार्थता पर संदेह न हो, वहां ऐसे डीएनए रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त की अपराध में संलिप्तता एवं दोषसिद्धि को उचित होना मान्य किया गया। **<u>न्यायदृष्टांत सुनील विरूद्ध स्टेट ऑफ एम.पी. (2017)4 एस.सी.सी. 393</u>** में यह प्रतिपादित किया गया है कि:– It was held that though a positive result of DNA test would constitute clinching evidence against the accused.

83. अभियोक्त्री के फीटस पर अभियुक्त मोहित का वाय क्रोमोजोम कैसे पाया गया इस संबंध में अभियुक्त द्वारा कोई पर्याप्त स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। **धारा**

106 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत यह प्रमाणित करने का भार अभियुक्त पर है कि अभियोक्त्री के कपड़ों पर मानव शुक्राणु कैसे पाए गए किंतु उक्त तथ्यों को अभियुक्त ने स्पष्ट नहीं किया है। इस संबंध में **न्याय दृष्टांत सुरेश विरूद्ध स्टेट ऑफ हरियाणा एआईआर 2015 सु.को. 518** अवलोकनीय है। इस प्रकार उक्त न्यायदृष्टांत के आलोक में बचाव पक्ष को उक्त तर्क से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

84. अभियुक्त मोहित के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि स्वतंत्र साक्षीगण की साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। जिन साक्षियों को परीक्षित कराया गया वह अनुश्रुत साक्षी हैं, किंतु अभियोजन के मामले की पुष्टि हेतु अन्य साक्ष्य की अपवाधिक परिस्थिति को छोड़कर आवश्यकता नहीं होती, न ही पुष्टिकारक साक्ष्य की मांग की जाती है। इस संबंध में **न्यायदृष्टांत हरिबदन बाबू भाई पटेल विरूद्ध स्टेट आफ गुजरात (2013) 7 एसएससी 45** अवलोकनीय है।

85. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियोक्त्री के पिता के द्वारा अभियुक्त मोहित को प्रकरण में झूठा फंसाया गया है किंतु बचाव पक्ष द्वारा अभियोजन साक्षियों के समक्ष सुझाव रखने पर प्रतिपरीक्षण के दौरान इंकार किया है। प्रकरण में यह तथ्य अवलोकनीय है कि अभियोक्त्री के माता, पिता के समक्ष बचाव पक्ष द्वारा विशेष चुनौती नहीं दी गई है। अभियोजन द्वारा डीएनए जैसे निश्चयात्मक साक्ष्य प्रस्तुत की गई है। अतः अभियुक्त द्वारा लिया गया बचाव विश्वसनीय व स्वाभाविक नहीं है। अभियोक्त्री के मां, पिता के कथनों की पुष्टि डीएनए रिपोर्ट से होती है। अभियोक्त्री के मां, पिता के कथनों पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। जहां अभियोक्त्री के माता, पिता

के कथन पूर्णतः विश्वसनीय हो, वहां उसमें एक मात्र कथन के आधार पर दोषसिद्धि अभिलिखित की जा सकती है। इस प्रकार प्रकरण में आई साक्ष्य से स्पष्ट है कि अभियुक्त ने मृतक अभियोक्त्री के साथ बार–बार बलात्संग कारित किया, जिसके परिणामस्वरूप अभियोक्त्री गर्भवती हुई।

86. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियोक्त्री गर्भवती होने के पूर्व एवं घर से जाने के बाद अभियोक्त्री कहां रही, कैसे रहीं, इसके संबंध में कोई विवेचना नहीं की गई है। प्रकरण के अवलोकन से भी दर्शित है कि विवेचना अधिकारी द्वारा उक्त संबंध में कोई विवेचना नहीं की गई है और न ही साक्षियों से इस संबंध में पूछताछ की गई है।

87. अभियोजन अथवा अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई लापरवाही के आधार पर अभियुक्त को दोषमुक्त नहीं किया जा सकता। इस संबंध में **न्यायदृष्टांत धनस सिंह उर्फ शेरा विरूद्ध स्टेट आफ पंजाब 2004 (एसएससी) 654** में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार जहां अनुसंधान में कमी हो वहां साक्ष्य के मूल्यांकन में सतर्क रहना चाहिए किंतु अनुसंधान में कमी दोषमुक्ति का आधार नहीं हो सकती। अतः उक्त तर्क का कोई मान्य नहीं है।

88. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियुक्त मोहित के विरूद्ध व्यपहरण का अपराध नहीं बनता।

89. प्रकरण में अभियोक्त्री के माता, पिता के कथनों को देखा जाए तो अभियुक्त मोहित द्वारा अभियोक्त्री को विवाह का प्रलोभन देकर, बहला फुसलाकर उनकी विधिपूर्ण संरक्षकता से, उनकी सम्मति के बिना ले जाकर अभियोक्त्री का व्यपहरण का अयुक्त संभोग करने के लिए, विवश या विलुब्ध करने के आशय से उसकी इच्छा के विरूद्ध उससे विवाह करने के लिए विवश करने के आशय

से, या यह जानते हुए कि उसे अयुक्त संभोग के लिए विवश किया जाएगा, अपने साथ ले जाकर व्यपहरण/अपहरण के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं।

90. अभियोक्त्री की मां और पिता के अनुसार अभियोक्त्री के गर्भवती होने की जानकारी होने पर अभियोक्त्री ने उन्हें बताया था कि अभियुक्त उसे पसंद करता है, शादी करना चाहता है, इसके बाद अभियुक्त आया और अभियोक्त्री को अपने घर ले गया। अभियोक्त्री द्वारा भी मृत्यु के पूर्व अभियुक्त ने उसके साथ बहला फुसलाकर या विवाह का प्रलोभन देकर उसकी इच्छा के विरूद्ध संभोग करने के लिए व्यपहरण किये जाने के संबंध में कोई कथन नहीं किया गया।

91. इस प्रकार अभियोक्त्री के माता, पिता की साक्ष्य से अभियुक्त मोहित द्वारा मृतक अभियोक्त्री के साथ अपहरण/व्यपहरण किये जाने के संबंध में कोई मौखिक साक्ष्य नहीं है।

92. अभियोजन कहानी के अनुसार अभियोक्त्री सहमत पक्षकार होना दर्शित होता है। चूंकि अभियोक्त्री के द्वारा किसी भी प्रकार का विरोध नहीं किया और उनके माता, पिता के द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध कोई शिकायत नहीं की गई है।

93. अन्यथा भी अभियोक्त्री के सहमत पक्षकार होने के संदर्भ में **न्यायदृष्टांत हरियाणा राज्य बनाम राजाराम ए.आई.आर 1973 एससी 819** अवलंबनीय है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने ऐसा अभिनिर्धारित किया है कि:—

> "There is no doubt a distinction between taking and allowing a minor to accompany a person; where the prosecutrix herself

leaves her father's house without any inducement by the accused who merely allows her to accompany him. the accused does not commit any offence."

94. उपरोक्त प्रकरण में अभियोक्त्री की आयु 14 वर्ष थी, जो कि इस प्रकरण की अभियोक्त्री की आयु 14 वर्ष है। अतः इस प्रकरण में भी अभियोक्त्री के सहमत पक्षकार होने की स्वीकृति को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त मोहित को अपहरण/व्यपहरण/उपापन के अपराध में सिद्धदोष नहीं ठहराया जा सकता है। अतः साक्ष्य के अभाव में यह अप्रमाणित है कि अभियुक्त मोहित ने दिनांक 08.11.2024 के तीन माह पूर्व अभियोक्त्री के निवास स्थान अभियोक्त्री के गांव आरक्षी केन्द्र माधवनगर जिला कटनी म.प्र. से 18 वर्ष के कम आयु की अभियोक्त्री को विधिपूर्ण संरक्षकता से विधिपूर्ण संरक्षक की सहमति के बिना ले जाकर एवं बहकाकर ले जाकर विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरित किया, अभियोक्त्री का व्यपहरण उसकी इच्छा के विरूद्ध अयुक्त संभोग करने के लिए अभियोक्त्री को विवश या विलुब्ध करने के लिए या वह विलुब्ध की जायेगी, यह संभाव्य जानते हुए किया उसे अयुक्त संभोग के लिए विवश किया जाएगा, अपने साथ ले जाकर व्यपहरण/अपहरण किया। अतः उक्त आधार पर अभियुक्त मोहित के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2) एवं धारा 87 का आरोप साक्ष्य से सिद्ध एवं प्रमाणित नहीं है।

95. प्रकरण में अभियोजन साक्ष्य एवं वैज्ञानिक साक्ष्य से प्रमाणित है कि अभियुक्त द्वारा बलात्संग किये जाने के परिणामस्वरूप अभियोक्त्री गर्भवती हुई, जिसकी पुष्टि डीएनए रिपोर्ट प्रदर्श पी–59 से होती है। प्रकरण में अभियोक्त्री सहमति पक्षकार थी किंतु पूर्व विचारणीय बिन्दु में यह प्रमाणित पाया गया है

कि अभियोक्त्री की उम्र 16 वर्ष से कम उम्र की बालिका है, ऐसी स्थिति में बलात्संग के संबंध में उसकी सहमति महत्वपूर्ण नहीं है।

96. प्रकरण में यह तथ्य अविवादित है कि पीड़िता अवयस्क है, ऐसी स्थिति में अभियुक्त द्वारा उसकी अवयस्कता के दौरान किया गया शारीरिक संपर्क किसी भी परिस्थिति में प्रवेशन लैंगिक हमले के अपराध का ही गठन करता है, इस संबंध में भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 में यह उपबंधित किया गया है कि:—

Under the circumstances falling under any of the following seven descriptions:

First- Against her will.

Second- Without her consent.

Third-With her consent, when her concent has been obtained by putting her or any person in whom she is interested, in fear of death or of hurt.

Fourth- With her concent, when the man knows that he is not her husband and that her consent is given because she believe that he is another man to whom she is or believes herself to be lawfully married.

Fifth- With her concent when, at the time of giving such concent, by reason of unsoundness of mind or intoxication or the administration by him personally or through another of any stuperfying or unwholesome substance, she is unable to understand the nature and consequences of that to which she gives consent.

Six- With or without her consent, when she is under eighteen

years of age.

Seven- When she is unable to communicate consent.

97. भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 में दिये प्रावधानों से स्पष्ट है कि अगर कोई पुरूष किसी महिला के साथ शारीरिक संबंध निर्मित करता है तो वह निर्मित किया गया शारीरिक संबंध बलात्संग की श्रेणी में आयेगा परंतु उक्त धारा की 6वीं परिस्थिति यह प्रावधान वर्णित करते हैं कि अवयस्क महिला के साथ किसी भी परिस्थिति में निर्मित किया गया शारीरिक संबंध बलात्संग की श्रेणी में ही आयेगा।

98. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम का मूल्य उद्देश्य 18 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं के संरक्षण से है तथा इस विद्यान के विशिष्ट प्रावधाओं में अभियोजित होने की उपधारणा में स्पष्ट किया गया है। धारा 29 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत ''जहां किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन धारा 3, धारा 5, धारा 7, धारा 9 के अधीन किसी अपराध को करने, करने का दुष्प्रेरण करने का या करने का प्रयत्न करने के लिए अभियोजित किया जा रहा है, वहां विशेष न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने अपराध किया है, जब तक कि उसके विरूद्ध साबित नहीं हो पाता''। धारा 30 के तहत यह उपबंधित है कि किसी अभियोजन में, जो अभियुक्त के पक्ष में आपराधिक, मानसिक स्थिति के अपेक्षा करता है, न्यायालय ऐसी मानसिक स्थिति की विद्यमानता की उपधारणा करेगा। ''किंतु अभियुक्त के लिए यह तथ्य साबित करने के लिए प्रतिरक्षा होगी कि उस अभियोजन में किसी अपराध के लिए आयोजित कृत्य के संबंध में उसकी ऐसी मानसिक स्थिति नहीं थी।

99. **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नवाबुद्दीन विरूद्ध उत्तराखण्ड राज्य कि.अ.नं. 144/2022 निर्णय दिनांक 08.02.2022** में छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार व सेक्सुअल एसाल्ट के संबंध में अवलोकनीय है।

100. अतः उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर यह प्रमाणित पाया जाता है कि अभियुक्त मोहित द्वारा अभियोक्त्री के साथ एक से अधिक बार बलात्संग कारित किया गया व गुरूत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला कारित किया, जिससे वह गर्भवती हुई। अतः उक्त आधार पर अभियुक्त मोहित के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 65(1), 64(2)(एम), 64(2)(i) एवं लैंगिंक अपराधों सें बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 3 सहपठित धारा 4(2), धारा 5(एल), (जे)(ii) सहपठित धारा 6 का आरोप साक्ष्य से सिद्ध एवं प्रमाणित है।

//अभियुक्त विमला, रामगोपाल, राहुल के संबंध में//

101. उक्त अभियुक्तगण पर आरोप है कि उनके द्वारा अभियोक्त्री, जो 18 वर्ष से कम आयु की थी, जो कि सहमति देने में असमर्थ थी, के साथ बार'—बार एवं एक से अधिक बार प्रवेशन लैंगिक हमला कारित करवाने का दुष्प्रेरण किया, जिससे वह गर्भवती हो गई, इस प्रकार गुरूत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला कारित कराए जाने का दुष्प्रेरण कारित किया।

102. उक्त प्रश्न पर विचार किया जाए तो अभियोक्त्री की मां और पिता के अनुसार अभियोक्त्री की उन्हें गर्भवती होने की जानकारी प्राप्त होने पर उन्होंने अभियोक्त्री से पूछा तो अभियोक्त्री ने कहा कि वह अभियुक्त मोहित को पसंद करती है, अभियुक्त मोहित शादी करना चाहता हैं, इसके बाद अभियुक्त आया और अभियोक्त्री को लेकर चला गया।

103. प्रतिपरीक्षण के दौरान अभियोक्त्री की मां और पिता द्वारा इस तथ्य को स्वीकार

किया गया है कि अभियोक्त्री के गर्भवती होने की जानकारी होने के बाद उनके द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई शिकायत नहीं की गई और जब अभियुक्त मोहित अभियोक्त्री को लेकर गया, उस दौरान भी अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई शिकायत नहीं की गई। अभियोक्त्री और उसकी मां के कथनों से यह भी तथ्य आए हैं कि अभियोक्त्री को लेने मात्र अभियुक्त मोहित आया था और उसके माता पिता नहीं आए थे।

104. अभियोजन साक्षियों के कथनों से यह भी तथ्य नहीं आए हैं कि घटना/अभियोक्त्री की मृत्यु के पूर्व अभियोक्त्री अभियुक्त मोहित के परिवार के साथ संयुक्त रूप से निवास करती थी, अभियुक्त के परिवार के लोग अभियुक्तगण विमला, राहुल, रामगोपाल के द्वारा किसी प्रकार के कृत्य में सहयोग प्रदान किया गया हो, ऐसी कोई विश्वसनीय प्रत्यक्ष साक्ष्य अभिलेख में नहीं आई है। इस संबंध में भी कोई साक्ष्य नहीं आई है कि अभियुक्तगण विमला, रामगोपाल एवं राहुल के द्वारा अभियोक्त्री को साथ रखने/बलात्संग कारित करने के लिए दुष्प्रेरित किया गया था। ऐसी स्थिति में यह तथ्य प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्तगण द्वारा अभियोक्त्री जो 18 वर्ष से कम आयु की थी, जो कि सहमति देने में असमर्थ थी, के साथ बार–बार एवं एक से अधिक बार गुरूत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला कारित करवाने का दुष्प्रेरण किया, जिससे वह गर्भवती हो गई। अतः उक्त आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 65(1) सहपठित धारा 49, धारा 64(2)(एम) सहपठित धारा 49, 64(2)(i) सहपठित धारा 49 एवं लैगिंक अपराधों सें बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 3 सहपठित धारा 4(2) एवं धारा 17, धारा 5(एल), (जे)(ii) सहपठित धारा 6 एवं 17 का आरोप साक्ष्य से सिद्ध एवं प्रमाणित नहीं है।

<u>विचारणीय प्रश्न क्र. 06 :—</u>

105. अभियोक्त्री के माता, पिता के न्यायालयीन कथनों के अनुसार अभियुक्त मोहित अभियोक्त्री को लेकर चला गया था, किंतु पूर्व विचारणीय बिन्दू से यह प्रमाणित नहीं पाया गया है कि अभियोक्त्री को बल का प्रयोग कर उसे आने—जाने के लिए प्रतिबंधित किया गया। अभियोक्त्री ने स्वयं उन्हें फोन के माध्यम से सूचित किया था कि वह अभियुक्त को ढूंढने के लिए घर से बाहर है। अभियोक्त्री ने मृत्यु के पूर्व भी उसके माता, पिता को नहीं बताया कि अभियुक्त उसे कहीं आने—जाने नहीं देता या किसी कमरे में बंद करके रखा हो। अभियोजन द्वारा भी इस तथ्य को प्रमाणित नहीं किया है कि किस कमरे में अभियोक्त्री को बंद करके रखा गया था। अतः अभियोक्त्री को 10 या अधिक दिनों के लिए निश्चित दिशा में जाने से निवारित कर सदोष परिरोध कारित कराए जाने का दुष्प्रेरण या अभियुक्त मोहित द्वारा सदोष परिरोध कारित किया जाना साक्ष्य से सिद्ध एवं प्रमाणित नहीं है। अतः उक्त आधार पर अभियुक्तगण **मोहित, विमला, रामगोपाल एवं राहुल** के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 127(4) सहपठित 49 का आरोप साक्ष्य से सिद्ध एवं प्रमाणित नहीं है।

<u>विचारणीय प्रश्न क्र. 07 :—</u>

106. अभियुक्तगण मोहित, विमला, रामगोपाल एवं राहुल पर आरोप है कि अभियुक्तगण द्वारा अभियोक्त्री के साथ मारपीट कर अभियोक्त्री को आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप अभियोक्त्री ने निवार व कटनी साउथ के बीच केएम नंबर 1076/6 पर ट्रेन के सामने आकर आत्महत्या की।

107. प्रश्न है कि क्या अभियोक्त्री की मृत्यु ट्रेन से रनओवर होने के कारण हुई थी?

108. उक्त संदर्भ में रामदास मौर्य (अ.सा.–02) के अनुसार दिनांक 08.11.2024 को उसके सीनियर सेक्शन इंजीनियर द्वारा बताया गया कि किलोमीटर 1076, खम्बा नंबर 8 से 10 के बीच कोई अज्ञात व्यक्ति गाड़ी नंबर 12295 संघमित्रा एक्सप्रेस से रनओवर हो गया है, सूचना मिलने पर कटनी साउथ स्टेशन गया और वहां पर स्टेशन प्रबंधक के द्वारा उसे सूचना मेमो प्रदर्श पी–07 देकर माधवनगर भिजवाया गया। सूचना मेमो के आधार पर थाना माधवनगर मर्ग इंटीमेशन प्रदर्श पी–08 पंजीबद्ध किया गया। सूचना प्राप्त होने पर सहायक उपनिरीक्षक मोहम्मद वहाब खान (अ.सा.–16) ने मर्ग इंटीमेशन प्रदर्श पी–08 दर्ज कर घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया था। पटवारी के द्वारा भी तहसीलदार के निर्देशन पर घटना स्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी–14 तैयार किया गया था। विवेचना अधिकारी प्रतीक्षा सिंह चंदेल के द्वारा शव नक्शा पंचनामा प्रदर्श पी–02 तैयार किया गया, शव शिनाख्तगी अभियोक्त्री के पिता से कराए जाने पर उन्होंने अभियोक्त्री की पहचान की थी, जिसका पंचनामा प्रदर्श पी–03 तैयार किया गया था। महिला चिकित्स डॉ. आरती सोंधिया द्वारा अभियोक्त्री की पी.एम रिपोर्ट प्रदर्श पी–37 तैयार की गई थी। चिकित्सक अधिकारी के मतानुसार मृतिका की मृत्यु क्रस्ड इंज्यूरी के कारण होना पाया गया है।

109. अभियोजन साक्षियों के कथनों से यह तथ्य आए हैं कि अभियोक्त्री की मृत्यु ट्रेन से रनओवर के कारण हुई थी। अतः उक्त साक्ष्य से प्रमाणित होता है कि अभियोक्त्री की मृत्यु ट्रेन से रनओवर के कारण हुई थी।

110. अब प्रश्न है कि क्या अभियुक्तगण द्वारा अभियोक्त्री को आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित किया गया?

111. उक्त संदर्भ में अभियोक्त्री के माता, पिता ने अपने कथनों में व्यक्त किया है कि उन्होंने अभियोक्त्री से पूछा कि तुम्हारा पेट क्यों बढ़ा है, तब उसने बताया कि वह अभियुक्त मोहित को पसंद करती है, अभियुक्त मोहित का बच्चा उसके पेट में है। इसके बाद अभियुक्त मोहित आया और अभियोक्त्री को अपने साथ घर लेकर चला गया, तब वे लोग धान की कटाई करने के लिए बंधी स्लीमनाबाद चले गए थे, फिर 07 तारीख को उन्हें अभियोक्त्री ने फोन करके बताया था कि अभियुक्त मोहित ने उसे मारा–पीटा है और घर से निकाल दिया है और अभियुक्त मोहित भी कहीं चला गया है, अभियुक्त मोहित के परिवार वाले उसे खाना नहीं देंते हैं और वह अभियुक्त मोहित को ढूंढने घर से बाहर निकली है, अभियुक्त मोहित के घरवाले उसे बोल रहे हैं कि मोहित को ढूंढ कर ला और वह न मिले तो कहीं जाकर मर जाना। फिर पुलिस वाले उनके घर आए थे और बोले थे कि रेल्वे ट्रैक पर लड़की का शव है, तब वे वहां गए और उन्होंने अभियोक्त्री की पहचान की। अन्य अभियोजन साक्षियों ने भी अभियोक्त्री के माता, पिता के बताए अनुसार कथन किये हैं।

112. अभियोक्त्री के माता, पिता को उक्त तथ्य की जानकारी होने के पश्चात् अभियुक्त मोहित के घर से बाहर जाने के संबंध में किसी भी थाने या संस्था में कोई शिकायत नहीं की गई। मृतक अभियोक्त्री को उसके ससुराल से घर से बाहर निकालने और उसके साथ प्रताड़ित करने के संबंध में कोई शिकायत नहीं की गई। अभियोक्त्री की मृत्यु के पूर्व क्या अभियुक्त मोहित व उसके परिवार के लोग शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे, ऐसे भी कोई तथ्य नहीं आए हैं?

113. अभियोक्त्री के माता, पिता के कथनों से दर्शित होता है कि अभियुक्त के माता

पिता ने सामान्य तौर पर कहा था कि अभियुक्त मोहित घर से भाग गया है, ढूंढकर ला, उनका यह आशय नहीं था कि अभियोक्त्री को आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित किया गया हो। अभियोक्त्री के माता, पिता को भी इस तथ्य की जानकारी हुई कि अभियोक्त्री अभियुक्त मोहित को ढूंढने के लिए निकली है, परेशान है। अभियोक्त्री से फोन से बात करने के पश्चात् भी उनके द्वारा अभियोक्त्री कहां हैं, किन परिस्थितियों में है, इस संबंध में भी जानने का प्रयास नहीं किया और न ही किसी थाने में शिकायत की गई। मात्र घटना दिनांक को अभियुक्त के घर से चले जाने और अभियुक्त मोहित के माता, पिता, भाई द्वारा कहा गया कि अभियुक्त घर से बाहर है, ढूंढकर लाना। इस प्रकार के तथ्य से यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्तगण द्वारा अभियोक्त्री को आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित किया गया था जबकि अभियोक्त्री घटना के पूर्व से अभियुक्त मोहित के साथ निवास कर रही थी। यदि अभियुक्त के माता, पिता के द्वारा अभियोक्त्री को मानसिक, शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था तो अभियोक्त्री के पास विकल्प उपलब्ध था कि वह अपने माता, पिता के पास जा सकती थी, या इस संबंध में थाने में शिकायत की जा सकती थी। अभियुक्तगण द्वारा लगातार शारीरिक, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया हो, ऐसी भी प्रकरण में कोई साक्ष्य नहीं है।

114. आत्महत्या के लिए अभियुक्त का कोई प्रत्यक्ष कृत्य या उकसाने वाला काम होना चाहिए, जिससे आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता न बचे, केवल सामान्य झगड़ा, कहासुनी, तनावपूर्व संबंध को अपने आप उकसावा नहीं माना जा सकता, इसके लिए मजबूत साक्ष्य होना जरूरी है, यह साबित करना होता है कि अभियुक्त ने जानबूझकर या इरादे से पीड़ित को मारने के लिए मजबूर

किया हो, किंतु उक्त तर्क पर विचार किया जाए तो अभियोजन द्वारा ऐसी कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है, जबकि अभियोक्त्री के पास अन्य विकल्प उपलब्ध थे। अतः यह तथ्य साक्ष्य से सिद्ध एवं प्रमाणित नहीं है कि दिनांक 08.11.2024 को अभियुक्तगण द्वारा अभियोक्त्री के साथ मारपीट कर अभियोक्त्री को आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप अभियोक्त्री ने निवार व कटनी साउथ के बीच केएम नंबर 1076/6 पर ट्रेन के सामने आकर आत्महत्या की। अतः उक्त आधार पर अभियुक्तगण **मोहित, विमला, रामगोपाल एवं राहुल** के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 107 सहपठित 49 का आरोप साक्ष्य से सिद्ध एवं प्रमाणित नहीं है।

विचारणीय प्रश्न क्र. 08 :—

115. अभियुक्तगण मोहित, विमला, रामगोपाल, राहुल पर यह भी आरोप है कि घटना दिनांक को अभियुक्तगण अभियोक्त्री को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। अभियोक्त्री के माता, पिता ने बताया है कि अभियुक्त मोहित उनके घर आया था और अभियुक्त अभियोक्त्री को साथ ले गया और बोल रहा था कि यदि कहीं रिपोर्ट की तो सभी को जान से खत्म कर दूंगा।

116. भारतीय न्याय संहिता की धारा 351(3) के अनुसार धमकी वास्तविक होनी चाहिए अभियुक्त इस स्थिति में होना चाहिए की यह धमकी का क्रियान्वयन कर सके। अभियोक्त्री के माता, पिता व अन्य साक्षी ने अपने कथनों में लेश मात्र भी इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया है कि अभियुक्त ने उन्हें जान से मारने की धमकी देते समय अभियुक्त का आशय उसे कार्य रूप में परिवर्तित

करने का था। अभियुक्त द्वारा ऐसा कोई कृत्य या ऐसी किसी तैयार की, के साथ अभियोक्त्री को धमकी दी गई हो, जिससे अभियोक्त्री को आसन्न यह खतरा उत्पन्न हो गया हो कि अभियुक्त उस धमकी के अनुसरण में कोई घ टना कारित कर सकता है। मात्र धमकी देना धारा 351(3) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अपराध घटित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अभियुक्त का आशय पीड़िता को अभित्रास कारित करना था, यह भी नहीं कहा जा सकता। अतः अभियोजन पक्ष संदेह से परे यह प्रमाणित करने में **असफल** रहा है कि अभियुक्त मोहित ने घटना दिनांक को अभियोक्त्री को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। अतः उक्त आधार पर अभियुक्तगण **मोहित, विमला, रामगोपाल, राहुल** के विरूद्ध धारा 351(3) भारतीय न्याय संहिता का आरोप साक्ष्य से सिद्ध एवं प्रमाणित नहीं है।

117. उपरोक्तानुसार किये गये साक्ष्य विश्लेषण से यह निष्कर्ष आया है कि अभियोजन, अभियुक्त **रोहित चौधरी, राम गोपाल चौधरी एवं विमला चौधरी** के विरूद्ध यह युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहा है कि उन्होंने दिनांक 08.11.2024 के 09 माह पूर्व से दिनांक 07. 11.2024 तक स्वयं के निवास स्थान एवं अन्य स्थान, जिला कटनी म.प्र. में 16 वर्ष से कम आयु की अभियोक्त्री, जो कि सहमति देने में असमर्थ थी, के साथ बार–बार बलात्संग एवं बार–बार एवं एक से अधिक बार प्रवेशन लैंगिक हमला कारित किये जाने, जिससे अभियोक्त्री गर्भवती हो गई, गुरूत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला कारित कराये जाने का दुष्प्रेरण किया तथा दिनांक 08.11.2024 के तीन माह पूर्व स्वयं के निवास स्थान आरक्षी केन्द्र माधवनगर जिला कटनी से अभियोक्त्री को 10 या अधिक दिनों के लिए निश्चित दिशा में जाने से निवारित

कर सदोष परिरोध कारित कराए जाने का दुष्प्रेरण किया तथा 18 वर्ष से कम आयु की अभियोक्त्री के साथ मारपीट कर अभियोक्त्री को आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित किया, जिसके परिणामस्वरूप अभियोक्त्री ने निवार व कटनी साउथ के बीच के एम 1076/06 पर ट्रेन के सामने आकर आत्महत्या की, जिसका दुष्प्रेरण किया तथा अभियोक्त्री को संत्रास कारित करने के आशय से उसे जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

118. अभियोजन अभियुक्त **मोहित चौधरी** के विरूद्ध भी यह युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहा है कि अभियुक्त मोहित चौधरी ने दिनांक 08.11.2024 के तीन माह पूर्व अभियोक्त्री के निवास स्थान अभियोक्त्री के गांव आरक्षी केन्द्र माधवनगर जिला कटनी म.प्र. से 18 वर्ष के कम आयु की अभियोक्त्री को विधिपूर्ण संरक्षकता से विधिपूर्ण संरक्षक की सहमति के बिना ले जाकर एवं बहकाकर ले जाकर विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरित किया, अभियोक्त्री का व्यपहरण उसकी इच्छा के विरूद्ध अयुक्त संभोग करने के लिए अभियोक्त्री को विवश या विलुब्ध करने के लिए या वह विलुब्ध की जायेगी तथा दिनांक 08.11.2024 के तीन माह पूर्व अभियोक्त्री को 10 या अधिक दिनों के लिए निश्चित दिशा में जाने से निवारित कर सदोष परिरोध कारित किया तथा दिनांक 08.11.2024 के 09 माह पूर्व से दिनांक 07.11.2024 स्वयं के निवास स्थान एवं अन्य स्थान में 18 वर्ष से कम आयु की अभियोक्त्री के साथ मारपीट कर अभियोक्त्री को आत्महत्या करने के लिए उत्प्रेरित किया, जिसके परिणामस्वरूप अभियोक्त्री ने निवार व कटनी साउथ के बीच के एम नंबर 1076/06 पर ट्रेन के सामने आकर आत्महत्या की तथा उक्त दिनांक, स्थान पर अभियोक्त्री को संत्रास कारित करने के आशय से

जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

119. किंतु अभियोजन अभियुक्त **मोहित चौधरी** के विरूद्ध यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त मोहित चौधरी ने दिनांक 08.11.2024 के 09 माह पूर्व से दिनांक 07.11.2024 स्वयं के निवास स्थान एवं अन्य स्थान में 16 वर्ष से कम आयु की अभियोक्त्री जो कि सहमति देने में असमर्थ थी, के साथ बार–बार बलात्संग एवं बार–बार एवं एक से अधिक बार प्रवेशन लैंगिक हमला कारित किया, जिससे वह गर्भवती हो गई।

120. फलतः उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आलोक में अभियोजन, **अभियुक्त विमला, रामगोपाल एवं राहुल** के विरूद्ध अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। परिणामतः **अभियुक्त मोहित** को संदेह का लाभ देते हुए **भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा–137(2), 87, 127(4), 107, 351(3) एवं अभियुक्त विमला, रामगोपाल एवं राहुल** को संदेह का लाभ देते हुए **भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा–65(1) सहपठित धारा 49, 64(2)(एम) सहपठित धारा 49, 64(2)(i) सहपठित धारा 49, 127(4) सहपठित धारा 49, 107 सहपठित धारा 49, 351(3) एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा–3 सहपठित धारा 4(2) एवं 17 धारा 5(एल), (जे)(ii) सहपठित धारा 6 एवं 17** के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोपों से **दोषमुक्त** किया जाता है।

121. फलतः अभियुक्त **मोहित चौधरी** को **धारा 65(1), 64(2)(एम), 64(2)(i) भारतीय न्याय संहिता, 2023 एवं धारा 3 सहपठित धारा 4(2), धारा 5(एल), (जे)(ii) सहपठित धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का**

संरक्षण अधिनियम 2012 का दोषी पाया जाकर दोषसिद्ध किया जाता है।

122. अभियुक्त मोहित चौधरी पूर्व से न्यायिक अभिरक्षा में है।

123. अभियुक्त राहुल, रामगोपाल एवं विमला प्रतिभूति पर मुक्त है, अतः उनके बंधपत्र एवं प्रतिभूति पत्र भारमुक्त किये जाते है। अभियुक्तगण के धारा 481(1) बी.एन.एस.एस. के तहत प्रस्तुत बंधपत्र एवं प्रतिभूति को छोड़कर शेष बंधपत्र एवं प्रतिभूति से भारमुक्त किया जाता है।

124. वर्तमान में परिवेश में बालकों के साथ इस प्रकार के अपराधों में निरंतर वृद्धि होती जा रही है, जिन पर नियंत्रण करना आवश्यक है। बालिकाएं समाज में स्वयं को सुरक्षित महसूस नहीं करती, वह स्वतंत्रतापूर्वक विचरण नहीं कर सकती। चूंकि धारा 65(1), 64(2)(एम), 64(2)(i) भारतीय न्याय संहिता, 2023 एवं धारा 3 सहपठित धारा 4(2), धारा 5(एल), (जे)(ii) सहपठित धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत परिवीक्षा अधिनिमय के प्रावधान अकृष्ट नहीं होते है।

125. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 258(2) के अंर्तगत दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय कुछ देर के लिए स्थगित किया जाता है।

(कल्पना मरावी)
अनन्य विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों
से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012
कटनी, जिला कटनी (म.प्र.)

दण्डादेश

(दिनांक 31.07.2026 को पारित)

पुनश्चः

126. दंड के प्रश्न पर उभयपक्ष को सुना गया जिस पर अभियुक्त मोहित चौधरी की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया कि अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है और वह नवयुवक है, जिसके उपर अपने परिवार के भरण–पोषण का दायित्व है। ऐसी स्थिति में उसे कम–से–कम सजा से दंडित किया जावे। इसके विपरीत अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक द्वारा यह व्यक्त किया गया कि अभियुक्त ने 16 वर्ष से कम आयु की पीड़िता के साथ गुरूत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला कारित किया। ऐसी स्थिति में उसने पीड़िता के साथ गंभीर अपराध किया है। ऐसी स्थिति में उसे कठोर कारावास से दंडित किये जाने का निवेदन किया गया।

127. दंड के बिंदु पर सुने जाने के उपरांत प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध आई गुरूत्तरकारी परिस्थितियां व न्यूनकारी परिस्थितियों पर विचार किया जा रहा है। गुरूत्तरकारित परिस्थितियों में प्रथम परिस्थिति यह है कि अभियुक्त द्वारा किये गये कृत्य के परिणामस्वरूप अभियोक्त्री जो कि 18 वर्ष से कम आयु की बालिका है के साथ अभियुक्त द्वारा गुरूत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला जैसा गंभीर अपराध कारित किया गया। न्यूनकारी परिस्थितियों पर विचार किया जाये तो अभियुक्त मोहित चौधरी 20 वर्षीय व्यक्ति है। अभियुक्त द्वारा अभियोक्त्री के साथ अन्य किसी तरह की मारपीट व हिंसा का प्रयोग नहीं किया गया है उसका पूर्व कोई अपराध अभिलेख भी नहीं है। उसका यह प्रथम अपराध है।

128. अतः समस्त परिस्थितियों को विचार में लेते हुये अभियुक्त मोहित चौधरी को

दंडित किये जाते समय कठोर दृष्टिकोण रखा जाना न्यायोचित दृष्टिकोण रखा जाना न्यायोचित दर्शित नहीं होता है।

129. अभियुक्त मोहित चौधरी को धारा 65(1), 64(2)(एम), 64(2)(i) भारतीय न्याय संहिता, 2023 एवं धारा 3 सहपठित धारा 4(2), धारा 5(एल), (जे)(ii) सहपठित धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के आरोपों का दोषी पाया गया है, जिनके परिप्रेक्ष्य में, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 42 का अवलोकन किया जाना आवश्यक है, जो निम्नानुसार हैः—

> '' धारा 42 अनुपल्किप दण्ड— जहां किसी कार्य या लोभ से इस अधिनियम के अधीन और भारतीय दण्ड संहिता (1860) का 45 की धारा 166— क, धारा 354—क, धारा 354—ख धारा 354—ग, धारा 354—घ, धारा 370, धारा 370—क, धारा 375, 376, 376—क, 376—कख, धारा 376—ख, धारा 376—ग, धारा 376—घ, धारा 376—घख, 376—ड या धारा 509 के अधीन कोई अपराध घटित होता है वहां तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तविर्निष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे अपराध का दोषी माना गया अपराधी, उस दण्ड का भागी होगा, जो इस अधिनियम के अधीन या भारतीय दण्ड संहिता (1860) का 45 के अधीन मात्रा में गुरूत्तर हो।

130. अभियुक्त मोहित चौधरी को जिन अपराधों के लिए दोषित किया गया है, उनमें निम्नानुसार दण्ड प्रावधानित हैः—

''भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 64(2)(एम) जो कोई 18 वर्ष से कम आयु की किसी स्त्री से बलात्संग करेगा वह कठिन कारावास से, जिसकी

अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

131. जबकि धारा 6 प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दण्ड (लैंगिक अपराधों से बालाकों का सरंक्षण अधिनियम) संधोधन अधिनियम 2019 प्रभावी दिनांक 16.08.2019 के बाद की दशा में जो किसी भी बालक पर गुरूत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास, जिसका अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास होगा तक की हो सकेगी, दंडित किया जायेगा और जुर्माने का भी दायी होगा या मृत्यृ से दंडित किया जायेगा।

132. इसी प्रकार भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 65(1) जो कोई 16 वर्ष से कम आयु की किसी स्त्री से बलात्संग करेगा, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि बीस वर्ष से अन्यून होगी, किंतु जो आजीवन कारावास, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल का कारावास अभिप्रेत है, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

133. जबकि धारा 4(2) प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दण्ड (लैंगिक अपराधों से बालाकों का सरंक्षण अधिनियम) संधोधन अधिनियम 2019 प्रभावी दिनांक 16.08.2019 के बाद की दशा में जो कोई सोलह वर्ष से कम आयु के बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास, जिसका अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास होगा तक की हो सकेगी, दंडित किया जायेगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

134. जिससे स्पष्ट है कि धारा 4(2) लैंगिक अपराधों से बालकों का सरंक्षण अधिनियम 2012 के तहत प्रावधानित दंड, भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 65(1) के तहत प्रावधानित दंड से मात्रा समान है, परंतु लैंगिक अपराधों से बालकों का सरंक्षण अधिनियम विशेष अधिनियम है। अतः धारा 42 लैंगिक अपराधों से बालकों का सरंक्षण अधिनियम 2012, के प्रावधान के आलोक में अभियुक्त मोहित चौधरी को भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 65(1) एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का सरंक्षण अधिनियम 2012 की धारा 3 सहपठित धारा 4(2) में से विशेष अधिनियम होने से धारा 3 सहपठित धारा 4(2) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अपराध में दंडित किया जा रहा है।

135. इसी प्रकार भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 64(2)(एम) एवं धारा 5(एल) सहपठित धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में से धारा 5(एल) सहपठित धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत प्रावधानित दंड धारा 64(2)(एम) भारतीय न्याय संहिता से गुरूत्तर है एवं उक्त अधिनियम विशेष अधिनियम है। अतः धारा 42 लैंगिक अपराधों से बालकों का सरंक्षण अधिनियम 2012, के प्रावधान के आलोक में अभियुक्त मोहित चौधरी को भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 64(2)(एम) एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का सरंक्षण अधिनियम 2012 की धारा 5(एल) सहपठित धारा 6 में से विशेष अधिनियम होने से धारा 5(एल) सहपठित धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अपराध में दंडित किया जा रहा है एवं भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 64(2)(आई) एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 5(जे)(ii) में पृथक

से दण्डित किया जा रहा है।

136. **फलतः अभियुक्त मोहित चौधरी** को निम्न तालिका अनुसार दंडित किया जाता हैः–

दोषसिद्धि धारा	**दंडादेश**	**कारावास की सजा**	**अर्थदंड**	**अर्थदंड व्यतिक्रम में**
धारा 65(1) भारतीय न्याय संहिता, 2023 एवं धारा 3 सहपठित धारा 4(2) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012	लैंगिक अपराधों से बालकों का सरंक्षण अधिनियम 2012 की धारा–3 सहपठित धारा 4(2)	20 वर्ष (बीस वर्ष) का सश्रम कारावास	100 / — (एक सौ रूपये)	03 माह का सश्रम अतिरिक्त कारावास
धारा 64(2)(एम) भारतीय न्याय संहिता, 2023 एवं धारा 5(एल) सहपठित धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012	लैंगिक अपराधों से बालकों का सरंक्षण अधिनियम 2012 की धारा–5(एल) सहपठित धारा 6	20 वर्ष (बीस वर्ष) का सश्रम कारावास	100 / — (एक सौ रूपये)	03 माह का सश्रम अतिरिक्त कारावास
धारा 64(2)(आई) भारतीय न्याय संहिता, 2023	धारा 64(2)(आई) भारतीय न्याय	10 वर्ष (दस वर्ष) का सश्रम कारावास	100 / — (एक सौ रूपये)	03 माह का सश्रम अतिरिक्त कारावास

	संहिता, 2023			
धारा 5(जे)(ii) सहपठित धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012	धारा 5(जे)(ii) सहपठित धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012	20 वर्ष (बीस वर्ष) का सश्रम कारावास	100 / — (एक सौ रूपये)	03 माह का सश्रम अतिरिक्त कारावास
	कुल—		400 / —रू. (चार सौ रूपये)	

137. उपरोक्त सभी सजायें अभियुक्त मोहित चौधरी को साथ—साथ भुगतायी जायें।

138. अभियुक्त मोहित चौधरी न्यायिक अभिरक्षा में है। तदानुसार, अभियुक्त मोहित को सजा भुगताए जाने हेतु सजा वारंट बनाकर जिला जेल कटनी भेजा जाए।

139. अभियुक्त मोहित चौधरी इस प्रकरण में दिनांक 11.11.2024 से आज निर्णय दिनांक 31.07.2026 तक कुल 627 दिन (छः सौ सत्ताईस दिवस) न्यायिक अभिरक्षा में रहा है। अभियुक्त मोहित द्वारा गुजारी गई न्यायिक अवधि उसके मूल कारावास की अवधि से समायोजित की जावे, इस संबंध में पृथक से धारा 468 बी.एन.एस.एस. के तहत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

140. अभियुक्त राहुल चौधरी इस प्रकरण में दिनांक 11.11.2024 से दिनांक 26.03. 2025 तक कुल 135 दिन (एक सौ पैतीस दिवस), अभियुक्त रामगोपाल चौधरी दिनांक 11.11.2024 से दिनांक 29.03.2025 तक कुल 128 दिन (एक सौ अट्ठाईस दिवस) एवं अभियुक्त विमला चौधरी दिनांक 11.11.2024 से दिनांक

07.03.2025 तक कुल 116 दिन (एक सौ सोलह दिवस) न्यायिक अभिरक्षा में रहे हैं। इस संबंध में पृथक से धारा 468 बी.एन.एस.एस. के तहत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

141. लैंगिक अपराधों से बालकों सरंक्षण अधिनियम 2012 की धारा– 33 (8) के अधीन निम्नलिखित आधारों पर पीड़ित को पहुंचे हुए नुकसान या चोट के संबंध में प्रसांगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए पीड़िता के लिए मुवावजा देने का निर्देश कर सकेगा।

142. इस प्रकरण में मृतिका 14 वर्षीय बालिका थी, उसके साथ हुई घटना से उसके माता–पिता को हुई मानसिक क्षति को किसी भी आर्थिक क्षति से पूर्ण नहीं किया जा सकता, किंतु मृतिका के माता–पिता एक निम्न वर्गीय समाज से आते हैं। प्रकरण की परिस्थिति को देखते हुए मृतिका के माता–पिता को 2,00,000/–रूपये (दो लाख रूपये) प्रतिकर की राशि दिलाया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उक्त राशि के नियमानुसार अभियोक्त्री/मृतिका के माता–पिता को भुगतान किए जाने की कार्यवाही हेतु निर्णय की प्रति सचिव जिला विधि सेवा प्राधिकरण कटनी म.प्र. को प्रेषित हो।

143. प्रकरण में अभियोक्त्री के परिजन के कथन की सी.डी. अभिलेख का भाग है। अतः अभिलेख में संलग्न रखी जावे। अपील होने पर इस संबंध में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

144. प्रकरण में जप्तशुदा वस्तुओं में अभियोक्त्री के नवजात शिशु का शव, सलाईन एवं अभियुक्त मोहित का रक्त नमूना मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की जाये।

145. यह आदेशित किया जाता है कि बालिका का नाम, पता फोटोग्राफ तथा परिवार की जानकारी एवं ऐसी अन्य विशिष्टियों का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई भी प्रकाशन न किया जाये जिससे बालिका की पहचान प्रकट हो सके।

146. नियम एवं आदेश (दाण्डिक) के नियम 526 के अंतर्गत अनुसूची–5 क्रमांक 99 के प्रारूप में लिखित सूचना तैयार किया जाये कि अभिलेख में प्रस्तुत दस्तावेज को तुरंत वापस मांगे अन्यथा उन्हें अभिलेख के साथ नष्ट कर दिया जायेगा। सूचना की एक प्रति न्यायालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित की जाये।

147. निर्णय की एक प्रति निःशुल्क धारा 404 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत अभियुक्त मोहित को तत्काल प्रदान की जावे।

148. निर्णय की निशुल्क एक प्रति धारा 406 बी.एन.एस.एस.,2023 एवं म.प्र. नियम तथा आदेश (आपराधिक) नियम 255(F) के अनुपालन में अवलोकन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु जिला दंडाधिकारी कटनी को तथा अभियोक्त्री को सूचित करने हेतु अभियोजन को जरिए ई–मेल भेजी जावे तथा एक प्रति ''निःशुल्क सिद्धदोष'' को तत्काल दी जावे।

दिनांक 31/07/2026
स्थान– कटनी

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, मुद्रांकित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया।

(कल्पना मरावी)
अनन्य विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012
कटनी, जिला कटनी (म.प्र.)

(कल्पना मरावी)
अनन्य विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012
कटनी, जिला कटनी (म.प्र.)

प्ररूप–च

अभियोजन / प्रतिरक्षा / न्यायालयीन साक्षियों की सूची

क. अभियोजन

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
अ.सा.–01	अभियोक्त्री की मॉ	अन्य साक्षी
अ.सा.–02	रामदास	अन्य साक्षी
अ.सा.–03	अभियोक्त्री के पिता	अन्य साक्षी
अ.सा.–04	अभियोक्त्री के मामा ''आ''	अन्य साक्षी
अ.सा.–05	अभियोक्त्री की मामी ''कि''	अन्य साक्षी
अ.सा.–06	लल्लू चौधरी	अन्य साक्षी
अ.सा.–07	राधिका प्रसाद बेड़िया	अन्य साक्षी
अ.सा.–08	शनि चौधरी	अन्य साक्षी
अ.सा.–09	विनोद यादव	अन्य साक्षी / पार्षद
अ.सा.–10	मो. शरीफ	अन्य साक्षी
अ.सा.–11	नंदन कुमार	पुलिस साक्षी
अ.सा.–12	महेश चौधरी	पुलिस साक्षी
अ.सा.–13	आशीष कुमार श्रीवास	पुलिस साक्षी
अ.सा–14	ऋषिका खेर	संबंधित विद्यालय की प्रिंसिपल
अ.सा–15	डॉ. आरती सोंधिया	चिकित्सीय साक्षी

अ.सा.—16	मोहम्मद वहाब खान	अनुसंधान अधिकारी / पुलिस साक्षी
अ.सा.—17	अनूप सिंह	अनुसंधान अधिकारी / पुलिस साक्षी
अ.सा.—18	अमित कनकने	अन्य साक्षी
अ.सा.—19	शालिनी गौतम	अन्य साक्षी
अ.सा.—20	प्रतीक्षा सिंह चंदेल	अनुसंधान अधिकारी / पुलिस साक्षी
अ.सा.—21	डॉ. अपेक्षा बत्रा	चिकित्सीय साक्षी

ख. प्रतिरक्षा साक्षी, यदि कोई हो :—

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
निरंक	निरंक	निरंक

ग. न्यायालय साक्षी, यदि कोई हो :—

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
निरंक	निरंक	निरंक

अभियोजन / प्रतिरक्षा / न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची

क. अभियोजन

सं.क.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	प्रदर्श पी–01 / अ.सा.–01	पंचायतनामा में उपस्थित होने के लिए आवेदन पत्र
2	प्रदर्श पी–02 / अ.सा.–01	नक्शा पंचायतनामा
3	प्रदर्श पी–03 / अ.सा.–01	शव शिनाख्तगी पंचनामा
4	प्रदर्श पी–04 / अ.सा.–01	अभियोक्त्री के दाखिल खारिज रजिस्टर का जप्ती पत्रक
5	प्रदर्श पी–05 / अ.सा.–01	अभियोक्त्री की मॉ के धारा 183 बी.एन.एस.एस. के तहत लेखबद्ध कथन
6	प्रदर्श पी–06 / अ.सा.–01	अभियोक्त्री की मॉ के धारा 183 बी.एन.एस.एस. के कथन दिनांक की आदेश पत्रिका
7	प्रदर्श पी–07 / अ.सा.–02	थाना माधवनगर को दी गई रन ओवर की तहरीर
8	प्रदर्श पी–08 / अ.सा.–02	अज्ञात शव का पंजीकरण
9	प्रदर्श पी–09 / अ.सा.–02	अपराध विवरण फार्म
10	प्रदर्श पी–10 / अ.सा.–03	शव सुपुर्दनामा पावती रसीद
11	प्रदर्श पी–11 / अ.सा.–03	नक्शा मौका
12	प्रदर्श पी–12 / अ.सा.–03	अभियोक्त्री का कक्षा के.जी.–2 के प्रोग्रेस रिपोर्ट का जप्ती पत्रक
13	प्रदर्श पी–13 / अ.सा.–03	अभियोक्त्री के कक्षा–2 की प्रोग्रेस रिपोर्ट का जप्ती पत्रक

14	प्रदर्श पी—14 / अ.सा.—03	नजरी नक्शा
15	प्रदर्श पी—15 / अ.सा.—03	अभियोक्त्री के पिता के धारा 183 बी.एन.एस.एस. के तहत लेखबद्ध कथन
16	प्रदर्श पी—16 / अ.सा.—03	अभियोक्त्री / मृतिका के पिता को कथन हेतु दिया गया नोटिस
17	प्रदर्श पी—17 / अ.सा.—03	अभियुक्त मोहित चौधरी का गिरफ्तारी पत्रक
18	प्रदर्श पी—18 / अ.सा.—03	अभियुक्त राहुल चौधरी का गिरफ्तारी पत्रक
19	प्रदर्श पी—19 / अ.सा.—03	अभियुक्त राम गोपाल चौधरी का गिरफ्तारी पत्रक
20	प्रदर्श पी—20 / अ.सा—03	अभियुक्त विमला चौधरी का गिरफ्तारी पत्रक
21	प्रदर्श पी—21 / अ.सा.—03	प्रथम सूचना प्रतिवेदन
22	प्रदर्श पी—22 / अ.सा.—04	अभियोक्त्री के मामा ''आ'' को कथन हेतु दिया गया नोटिस
23	प्रदर्श पी—23 / अ.सा.—05	अभियोक्त्री की मामी ''कि'' को कथन हेतु दिया गया नोटिस
24	प्रदर्श पी—24 / अ.सा.—06	साक्षी लल्लू चौधरी को कथन हेतु दिया गया नोटिस
25	प्रदर्श पी—25 / अ.सा.—07	मौका स्थल पंचनामा
26	प्रदर्श पी—26 / अ.सा.—07	साक्षी राधिका प्रसाद को कथन हेतु दिया गया नोटिस
27	प्रदर्श पी—27 / अ.सा.—08	साक्षी शनि चौधरी को कथन हेतु दिया गया नोटिस
28	प्रदर्श पी—28 / अ.सा.—09	शव परीक्षण के लिए आवेदन

29	प्रदर्श पी–29/अ.सा.–09	साक्षी विनोद यादव को कथन हेतु दिया गया नोटिस
30	प्रदर्श पी–30/अ.सा.–09	साक्षी विनोद यादव के धारा 180 बी.एन.एस.एस. के कथन
31	प्रदर्श पी–31/अ.सा.–10	साक्षी मो. शरीक सुल्तान को कथन हेतु दिया गया नोटिस
32	प्रदर्श पी–32/अ.सा.–10	साक्षी मो. शरीक सुल्तान के धारा 180 बी.एन.एस.एस. के कथन
33	प्रदर्श पी–33/अ.सा.–11	अभियुक्त मोहित चौधरी के रक्त नमूना का जप्ती पत्रक
34	प्रदर्श पी–34/अ.सा.–11	आर.एफ.एस.एल. जबलपुर की पावती रसीद
35	प्रदर्श पी–35/अ.सा.–12	नवजात शिशु के शव, सैलाइन घोल नमूना एवं जिला अस्पताल कटनी के सील नमूना का जप्ती पत्रक
36	प्रदर्श पी–36/अ.सा.–12	कार्य प्रमाण पत्र
37	प्रदर्श पी–37सी/अ.सा.–14	अभियोक्त्री/मृतिका की आयु के संबंध में दाखिल खारिज रजिस्टर की प्रति
38	प्रदर्श पी–38/अ.सा.–15	अभियोक्त्री/मृतिका की टाईप्ड पी.एम. रिपोर्ट
39	प्रदर्श पी–38ए/अ.सा.–14	अभियोक्त्री का दाखिल खारिज रजिस्टर एवं घोषणा पत्र प्रदत्त किये जाने के संबंध में प्रधानाध्यापक को प्रेषित पत्र
40	प्रदर्श पी–39/अ.सा.–15	मृतिका के शिशु की आयु के संबंध में जानकारी बाबत् अस्पताल को प्रेषित पत्र
41	प्रदर्श पी–39ए/अ.सा.–14	अभियोक्त्री/मृतिका का दाखिल खारिज रजिस्टर एवं घोषणा पत्र प्रदत्त किये जाने बाबत् प्रधानाध्यापक को प्रेषित पत्र
42	प्रदर्श पी–40/अ.सा.–14	अभियोक्त्री की आयु के संबंध में दाखिल

		खारिज रजिस्टर की हस्तलिखित प्रति
43	प्रदर्श पी–41 / अ.सा.–14	अभियोक्त्री की आयु के संबंध में प्रधानाध्यापक का प्रमाणीकरण
44	प्रदर्श पी–41ए / अ.सा.–14	घटनास्थल का पटवारी नक्शा प्रदत्त किये जाने बाबत् तहसीलदार कटनी को प्रेषित पत्र
45	प्रदर्श पी–42 / अ.सा.–14	दाखिल खारिज रजिस्टर का सुपुर्दनामा
46	प्रदर्श पी–42ए / अ.सा.–18	घटनास्थल का नजरी नक्शा प्रदान किये जाने बाबत् तहतसीलदार कटनी को प्रेषित पत्र
47	प्रदर्श पी–43 / अ.सा.–19	घटनास्थल का पटवारी नक्शा प्रदत्त किये जाने बाबत् तहसीलदार कटनी को प्रेषित पत्र
48	प्रदर्श पी–44 / अ.सा.–19	नजरी नक्शा
49	प्रदर्श पी–45 / अ.सा.–19	नजरी नक्शा प्रदत्त किये जाने बाबत् तहसीलदार कटनी को प्रेषित पत्र
50	प्रदर्श पी–46 / अ.सा.–19	घटनास्थल का नजरी नक्शा प्रदाय करने के संबंध में थाना प्रभारी माधवनगर को प्रेषित पत्र
51	प्रदर्श पी–47 / अ.सा.–19	अभियुक्तगण की गिरफ्तारी की सूचना
52	प्रदर्श पी–48 / अ.सा.–20	अभियुक्त विमला का मुलाहिजा फार्म
53	प्रदर्श पी–49 / अ.सा.–20	अभियुक्त राहुल चौधरी का मुलाहिजा फार्म
54	प्रदर्श पी–50 / अ.सा.–20	अभियुक्त रामगोपाल का मुलाहिजा फार्म
55	प्रदर्श पी–51 / अ.सा.–20	अभियुक्त मोहित का मुलाहिजा फार्म
56	प्रदर्श पी–52 लगायत	अभियुक्तगण के ऑनलाईन एम.एल.सी. फार्म

	55/अ.सा.—20	
57	प्रदर्श पी—56/अ.सा.—20	अभियुक्त मोहित से डी.एन.ए. परीक्षण हेतु रक्त नमूना लिये जाने के संबंध में ली गई सहमति
58	प्रदर्श पी—57/अ.सा.—20	अभियुक्त मोहित का रक्त नमूना प्रमाणन फार्म
59	प्रदर्श पी—58/अ.सा.—20	पुलिस कटनी कटनी के माध्यम से अभियोक्त्री/मृतिका के नवजात शिशु, नार्मल सलाइन एवं अभियुक्त मोहित के रक्त नमूना को डी.एन.ए. परीक्षण हेतु आर.एफ.एस.एल. जबलपुर प्रेषित करने का ड्राफ्ट
60	प्रदर्श पी—59/अ.सा.—20	डी.एन.ए. रिपोर्ट
61	प्रदर्श पी—60/अ.सा.—20	अभियोक्त्री के माता—पिता के धारा 183 बी.एन.एस.एस. के तहत कथन अभिलिखित किये जाने बाबत् न्यायालय को प्रेषित पत्र
62	प्रदर्श पी—61/अ.सा.—20	अभियोक्त्री की मॉ को कथन हेतु दिया गया नोटिस
63	प्रदर्श पी—62/अ.सा.—20	अभियोक्त्री/मृतिका की टाईपशुदा पी.एम. रिपोर्ट प्रदत्त किये जाने बाबत् चिकित्सा अधिकारी को प्रेषित पत्र

ख. प्रतिरक्षा

सं.क.	प्रदर्श संख्या	विवरण
निरंक	निरंक	निरंक

ग. न्यायालयीन प्रदर्श

सं.क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	आर्टिकल ए–1/अ.सा.–03	अभियोक्त्री का कक्षा दूसरी का रिपोर्ट कार्ड
2	आर्टिकल ए–2/अ.सा.–03	अभियोक्त्री की कक्षा केजी–2 की प्रोग्रेस रिपोर्ट

घ. आवश्यक वस्तुएं

सं.क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
निरंक	निरंक	निरंक

KALPANA MARAVI
Digitally signed by KALPANA MARAVI
Date: 2026.07.31 17:31:40 +0530

(कल्पना मरावी)
अनन्य विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों
से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012
जिला कटनी (म.प्र.)